दैनिक
नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...

अंदर के पृष्ठों पर ❖❖ 2 | अभिव्यक्ति 3 | राजधानी 6 | आंचलिक 7 | छत्तीसगढ़

RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शुक्रवार 24 मार्च 2023, कृष्ण पक्ष तृतीया, विक्रम संवत-2080 वर्ष-12 अंक-42 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित www.navpradesh.com

मानहानि केस में राहुल गांधी को 2 साल की सजा, जमानत भी मिली

2019 में कहा था- सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों

नई दिल्ली/रायपुर। 'सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है। इस बयान से जुड़े मानहानि केस में राहुल गांधी को सूरत कोर्ट ने गुरुवार को दोषी करार दिया। इस फैसले के 27 मिनट बाद कोर्ट ने उन्हें 2 साल की जेल की सजा सुनाई और 15 हजार का जुर्माना भी लगाया। इसके कुछ देर बाद कोर्ट ने उन्हें जमानत भी दे दी। साथ ही सजा को 30 दिन के लिए स्थगित कर दिया। सुनवाई के दौरान राहुल कोर्ट में मौजूद रहे। राहुल ने कोर्ट में अपना पक्ष रखा। उनके वकील के मुताबिक, 'राहुल ने कहा कि बयान देते वक्त मेरी मंशा गलत नहीं थी। मैंने तो भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई थी।' उधर, कोर्ट के बाहर विधायक और याचिकाकर्ता पूर्णेश मोदी और उनके समर्थकों ने भारत माता की जय और जय श्रीराम के नारे लगाए। राहुल पर पिछले 4 साल से मानहानि का मामला चल रहा

था। कोर्ट ने 17 मार्च को इस मामले में सभी दलीलें सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रखा था। राहुल को आईपीसी की धारा 400 और 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। इसमें 2 साल की सजा का प्रावधान है। राहुल के वकील ने कोर्ट से कहा- इस पूरी घटना में कोई घायल नहीं हुआ। इससे किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। इसलिए हम किसी प्रकार की दया की याचना नहीं करते हैं। वहीं सजा सुनाए जाने के बाद राहुल गांधी ने ट्विटर पर महात्मा गांधी की कही गई लाइनों को लिखा। उन्होंने लिखा, 'मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।' मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन।

जानिए क्या है मानहानि का पूरा मामला

2019 के लोकसभा चुनाव से पहले कर्नाटक के कोलार में एक रैली के दौरान राहुल ने अपने भाषण में कहा था कि चोरों का सरनेम मोदी है। सभी चोरों का सरनेम मोदी क्यों होता है, चाहे वह ललित मोदी हो या नीरव मोदी हो चाहे नरेंद्र मोदी। इस केस की सुनवाई के दौरान राहुल गांधी तीन बार कोर्ट में पेश हुए थे। आखिरी बार अक्टूबर 2021 की पेशी के दौरान उन्होंने खुद को निर्दोष बताया था।

इस स्थिति में जा सकती है संसद सदस्यता

जुलाई 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि अदालतों में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा पाए जनप्रतिनिधियों (विधायकों-सांसदों) की सदस्यता रद्द कर दी जाएगी। इसी आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि जो सांसद या विधायक सजा को ऊपरी अदालत में चैलेंज करेंगे, उन पर सदस्यता रद्द करने का आदेश लागू नहीं होगा। राहुल गांधी को आईपीसी की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया गया है। उनके वकील ने कोर्ट में कहा- हम फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट जाएंगे। हायर कोर्ट में अपील करने के लिए राहुल गांधी के पास 30 दिन का वक्त है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8 (3) के मुताबिक 2 साल की सजा होने के बाद टेक्निकली राहुल गांधी की सदस्यता जा सकती है। बशर्ते ये सजा सुप्रीम कोर्ट से भी बरकरार रहे।

हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, 'उन्हें जमानत मिल गई है। हम शुरू से ही जानते थे क्योंकि वे जज बदलते रहे। हम कानून, न्यायपालिका में विश्वास करते हैं और हम कानून के अनुसार इसके खिलाफ लड़ेंगे।'

एक-दूसरे के प्रति सम्मान का भाव खत्म

छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राहुल गांधी पर सूरत कोर्ट के फैसले पर कहा कि उन्हें जमानत भी मिल गई है। इस पर आगे की लड़ाई लड़ी जाएगी। सीएम ने कहा कि आज की जो राजनीति है, उसमें राजनीतिक शुचिता खत्म हो गई है। बीजेपी के लोगों ने राहुल गांधी को मीर जाफर तक कहा है। राजनीतिक विचारधारा अलग-अलग हो सकती है। राजनीतिक लड़ाइयां भी हो सकती है लेकिन एक-दूसरे के प्रति जो सम्मान का भाव था वो अब खत्म हो चुका है और इसका कारण बीजेपी है।

कानून से बड़ा कोई नहीं

छत्तीसगढ़ के पूर्व सीएम डॉ. रमन सिंह ने कहा कि कानून से बड़ा कोई नहीं। कोई अपने आप को क़ानून से बड़ा समझता है इसका मतलब है कि वह संविधान को नहीं मानता। प्रधानमंत्री का पद देश की गरिमा बढ़ाने वाला पद है और इस पद पर कोई टिप्पणी करेगा तो मानहानि का केस चलेगा ही। मोदी पर राहुल गांधी की टिप्पणी पर सूरत कोर्ट का फैसला सबक सिखाने वाला है। ये फैसला नजीर बनेगा कि राजनीतिक शुचिता कैसे होनी चाहिए।

गैर भाजपा नेताओं को खत्म करने की साजिश

आम आदमी पार्टी के संयोजक व दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने कहा- 'गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर मुकदमे करके उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। हमारे कांग्रेस से मतभेद हैं मगर राहुल गांधी को इस तरह मानहानि केस में फंसाना ठीक नहीं। जनता और विपक्ष का काम है सवाल पूछना। हम अदालत का सम्मान करते हैं, पर इस निर्णय से असहमत हैं।'

इस फैसले से राहुल को सबक लेना चाहिए

देश के रक्षामंत्री राजनाथ सिंह ने कहा, 'शब्दों की मर्यादा हमेशा बनी रहनी चाहिए। इस फैसले से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी को सबक लेना चाहिए। वहीं कानून मंत्री किरेन रिजिजू ने राहुल गांधी मानहानि केस पर कहा- 'मैं कुछ भी कहने से पहले ऑर्डर की कॉपी देखूंगा। राहुल गांधी जो कुछ भी बोलते हैं वह हमेशा कांग्रेस पार्टी और पूरे देश पर गलत असर डालता है। कांग्रेस के कुछ सांसदों ने मुझसे कहा है कि राहुल के रवैए से कांग्रेस को ही नुकसान हो रहा है।'

मेरा भाई न कभी डरा हैं, न कभी डरेगा

कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने अपने ट्वीट में प्रतिक्रिया देते हुए कहा, डरी हुई सत्ता की पूरी मशीनरी साम, दाम, दंड, भेद लगाकर राहुल गांधी की आवाज को दबाने की कोशिश कर रही है। मेरा भाई न कभी डरा हैं, न कभी डरेगा। सच बोलते हुए जिये हैं, सच बोलते रहेंगे। देश के लोगों की आवाज उठाते रहेंगे। सच्चाई की ताकत व करोड़ों देशवासियों का प्यार उनके साथ है।

//-- सुविचार --//

उस काम को कभी ना छोड़ें जिसके बारे में आप हर दिन सोचते हैं

आज बेबाक

लगता है हमारा भारत दुखी आत्माओं का देश बनकर रह गया है। भाई लोग खुश ही नहीं होते। तुलसीदास जी ने कहा है कि जाही विधि राखे राम ताही विधि रहिए... लेकिन कोई खुश दिखने को तैयार नहीं है। सब रोनी सूरत लिए घूमते है। नतीजतन संयुक्त राष्ट्र द्वारा जारी की गई वर्ल्ड हप्पीनेस की ताजी रिपोट में भारत को 126 वां स्थान मिला है। जबकि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पिद्दी देश के लोग भारतीयों से ज्यादा खुशहाल बताए गए है। कैसी विडंबना है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है लेकिन भारतीय खुशहाल नहीं है। दया, कुछ को गड़बड़ है।

अमृतपाल के समर्थन में निकली रैली, सीएम बोले- इन्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे

रायपुर/नवप्रदेश। बुधवार को रायपुर शहर में खालिस्तान समर्थक अमृतपाल के पक्ष में निकाली गई रैली का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। गुरुवार को यह मुद्दा विधानसभा में भी उठा। भारतीय जनता पार्टी के विधायक बृजमोहन अग्रवाल, धरमलाल कौशिक और विधायक धर्मजीत सिंह ने रायपुर में देश विरोधी गतिविधियां बढ़ने के दावे के साथ पुलिस के विफल होने के आरोप सरकार पर लगाए। भाजपा के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल बोले- एक जुलूस पंजाब में निकाला गया और दूसरा छत्तीसगढ़ में इससे पूरे देश में राज्य की बदनामी हुई है। इसलिए मुख्यमंत्री के इस वक्तव्य को प्रस्ताव माना जाए। स्पीकर डॉ. चरणदास महंत बोले -मुख्यमंत्री के वक्तव्य को प्रस्ताव माने जाने की मांग विपक्ष ने की है और सीएम के वक्तव्य को प्रस्ताव के रूप में सम्मिलित करने का निर्णय आसंदी ने लिया। वहीं धर्मजीत सिंह ने कहा- रायपुर शहर में खालिस्तानी समर्थक खुलेआम नारा लगाते हुए देश विरोधी नारे लगाए, पुलिस के पास कोई इंटेलिजेंस नहीं रही, इनकी इंटेलिजेंस अक्षम साबित हुई है। इस पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि 30-35 लोग बिना सूचना दिए नारा लगाते हुए निकले थे। जहां तक सिख समाज की बात है तो उनके बलिदान को भुलाया नहीं जा सकता, लेकिन जिस तरह से नारा लगाते हुए निकले उन्हें बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। वीडियो खंगाले जाने के लिए कहा गया है। देश-विरोधी गतिविधियों में जो भी शामिल होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई होगी।

राहुल गांधी को सजा, कांग्रेसियों ने किया प्रदर्शन

रायपुर/नवप्रदेश। राहुल गांधी को गुजरात के सूरत कोर्ट ने गुरुवार को मानहानि का दोषी करार देते हुए 2 साल की कैद की सजा सुनाई है। उन पर 15 हजार रुपए जुर्माना भी लगाया गया है। हालांकि कोर्ट से उन्हें जमानत भी मिल गई। इसको लेकर रायपुर में कलेक्टोरेट के पास अंबेडकर चौक पर आकर प्रदेश कांग्रेस के नेताओं ने धरना दिया। युवा कांग्रेस के नेताओं ने महात्मा गांधी की प्रतिमा के सामने पुराने कांग्रेस भवन के बाहर मौन विरोध किया। कांग्रेस के ■ शेष पृष्ठ 6 पर

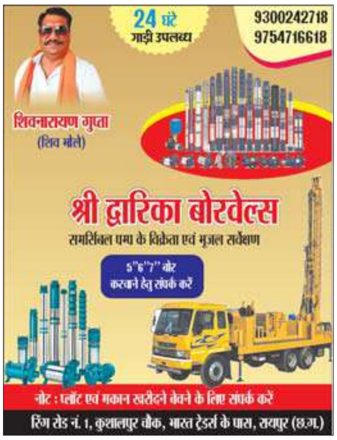

संपादकीय

भारत की छवि धूमिल करने की कोशिश

ये जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां है समय समय पर रिपोर्ट जारी कर भारत की छवि को धूमिल करने की कोशिश करती रहती है। कभी भारत को सबसे भ्रष्ट देशों की सूची में स्थान दिया जाता है तो कभी भारत को भुखमरी के शिकार देशों की सूची में ऊपर रखा जाता है। इसी माह संयुक्त राष्ट्र द्वारा वर्ल्ड हैप्पिनेस की जो ताजी रिपोर्ट जारी की गई है उसमें भारत को 126वां स्थान दिया गया है जबकि नेपाल और बांग्लादेश जैसे पड़ौसी राज्यों को इस सूची में भारत से ज्यादा खुशहाल बताया गया है। समझ में नहीं आता कि जिस भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ रही है और आज वह दुनिया की पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन चुका है वह देश भला उन देशों से ज्यादा खुशहाल क्यों नहीं हो सकता जिनकी वह मदद करता रहा है। निश्चित रूप से इस तरह की तमाम रिपोर्टे या तो मनगढ़ंत होती है या फिर जानबूझ कर भारत के प्रति दुराग्रह दिखाया जाता है। भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है जहां विविधता में एकता ही इसकी सबसे बड़ी पहचान है। दुनिया का हर शख्स जिंदगी में खुशियां चाहता है. अपनी मनचाही खुशियों को पाने के लिए लोग जिंदगी भर मेहनत मशक्कत करते रहते हैं. दुनियाभर में लोग अपनी खुशियों के लिए मंदिर, मस्जिद, चर्च और दूसरे धर्मस्थलों में सिर झुकाते हैं और प्रार्थना करते हैं. लेकिन, संयुक्त राष्ट्र की नई रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे खुशहाल देश सबसे कम धार्मिक भी हैं. वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट से पता चलता है कि फिनलैंड धरती पर सबसे खुशहाल देश है. वहीं, बुरुंडी, रवांडा, तंजानिया, दक्षिण सूडान और मध्य अफ्रीकी गणराज्य जैसे देश सीरिया की तुलना में कम खुश देश हैं. ये नतीजे छह प्रमुख आधारों पर किए गए सर्वेक्षण से निकाले गए हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, किसी भी देश की खुशहाली आय, स्वस्थ जीवन प्रत्याशा, सामाजिक समर्थन, स्वतंत्रता, विश्वास और उदारता से मापा जाता है. इस रिपोर्ट को तैयार करने के लिए भी अलग-अलग देशों में इन सभी चीजों को मापा गया है. पहली बार खुशहाली की सूची तैयार करते समय देशों में अप्रवासियों की खुशी के स्तर को भी मापा गया है. इस सर्वे में पता चला कि जिस देश में धर्म को मानने वालों की आबादी जितनी कम होती है, उसमें खुशहाली उतनी ही ज्यादा होती है. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे खुशहाल 10 देश सबसे कम धार्मिक देशों में शामिल हैं. अध्ययन में लोगों से पूछा गया कि क्या आपके लिए दैनिक जीवन में धर्म महत्वपूर्ण है. संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया के सबसे नाखुश देश सबसे अधिक धार्मिक हैं. रिपोर्ट के मुताबिक, दुनिया का सबसे खुशहाल देश फिनलैंड है. यहां की सिर्फ 28 फीसदी जनता का कहना है कि धर्म उनके लिए महत्वपूर्ण है. उनके लिए रोजमर्रा के जीवन में ईश्वर की खास जगह है. वहीं, नॉर्वे के सिर्फ 21 फीसदी लोगों को धर्म अहमियत रखता है. नॉर्वे खुशहाली के मामले में दूसरे पायदान पर है. इसके अलावा सूची में तीसरे पायदान पर मौजूद डेनमार्क में सिर्फ 19 फीसदी लोगों के रोजमर्रा के जीवन में धर्म अहम हिस्सा रखता है. बाकी 81 फीसदी लोगों को धर्म से कोई सरोकार नहीं है।

राजस्थान का प्रसिद्ध लोकोत्सव है गणगौर

रमेश सर्राफ

ईसरजी तो पेंचो बांध गोराबाई पेच संवार ओ राज म्हे ईसर थारी सालीछां। गणगौर विसर्जन के पहले दिन गणगौर का सिंजारा किया जाता है। लड़कियां मेहन्दी रचाती हैं। नये कपड़े पहनती हैं, घर में पकवान बनाये जाते हैं। सत्रहवें दिन लड़कियां नदी, तालाब, कुए, बावड़ी में ईसर गणगौर को विसर्जित कर विदाई देती हुई दुःखी हो गाती हैः- गोरल ये तू आवड़ देख बावड़ देख तन बाई रोवा याद कर। गणगौर की विदाई का बाद कई महिनो तक त्यौहार नहीं आते इसलिए कहा गया है-''तीज त्यौहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर''। अर्थात् जो त्यौहार तीज (श्रावणमास) से प्रारम्भ होते हैं उन्हें गणगौर ले जाती है। ईसर-गणगौर को शिव पार्वती का रूप मानकर ही बालाऐं उनका पूजन करती हैं। गणगौर के बाद बसन्त ऋतु की विदाई व ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। दूर प्रान्तों में रहने वाले युवक गणगौर के पर्व पर अपनी नव विवाहित प्रियतमा से मिलने अवश्य आते हैं। जिस गोरी का साजन इस त्यौहार पर भी घर नहीं आता वो सजनी नाराजगी से अपनी सास को उलाहना देती है। ''सासू भलरक जायो ये निकल गई गणगौर, मोल्यो मोड़ों आयो रे''।

राजस्थान का नाम सुनते ही मन खुशी से झूम उठता है। राजस्थान के पर्व त्यौहार अपने आप में अलग ही महत्व रखतें हैं। राजस्थानी परम्परा के लोकोत्सव अपने आप में एक विरासत को संजोए हुए हैं। गणगौर भी राजस्थान का ऐसा ही एक प्रमुख लोक पर्व है। लगातार 17 दिनों तक चलने वाला गणगौर का पर्व मूलतः कुंवारी लड़कियों व महिलाओं का त्यौंहार है। राजस्थान की महिलाएं चाहे दुनिया के किसी भी कोने में हो गणगौर के पर्व को पूरी उत्साह के साथ मनाती है। विवाहिता एंव कुवारी सभी आयु वर्ग की महिलायें गणगौर की पूजा करती है।

राजस्थान को देव भूमि कहा जाय तो अनुचित नहीं होगा। यहां सभी सम्प्रदाय फले फूले हैं। राजस्थानी शासकों ने विश्व कल्याण की भवना से अभिभूत होकर लोक मान्यताओं का सदा सम्मान किया है। इसी कारण यहां सभी पौराणिक एवं वैदिक देवी देवताओं के मन्दिर हैं। उनके उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाये जाते हैं। गणगौर का उत्सव भी ऐसा ही लोकोत्सव है। जिसकी पृष्ठ भूमि पौराणिक है। काल प्रभाव से उनमें शास्त्राचार के स्थान पर लोकाचार हावी हो गया है। परन्तु भाव भंगिमा में कोई कमी नहीं आई है।

गणगौर शब्द भगवान शिव और पार्वती के नाम से बना है। गण यानि भगवान शिव और गौर यानि पार्वती। इसलिए शिव-पार्वती की पूजा के रूप में इस त्यौहार को मनाया जाता है। होली के दूसरे दिन से सोलह दिनों तक लड़कियां प्रतिदिन प्रातः काल ईसर-गणगौर को पूजती हैं। जिस लड़की की शादी हो जाती है वो शादी के प्रथम वर्ष अपने पीहर जाकर गणगौर की पूजा करती है। इसी कारण इसे सुहागपर्व भी कहा जाता है। कहा जाता है कि चैत्र शुक्ला तृतीया को राजा हिमाचल की पुत्री गौरी का विवाह शंकर भगवान के साथ हुआ था। उसी की याद में यह त्यौहार मनाया जाता है। राजस्थान की राजधानी जयपुर में गणगौर उत्सव दो दिन तक धूमधाम से मनाया जाता है। सरकारी कार्यालयों में आधे दिन का अवकाश रहता है। ईसर और गणगौर की प्रतिमाओं की शोभायात्रा राजमहल से निकलती है। इनको देखने बड़ी संख्या में देशी-विदेशी सैनानी उमड़ते हैं। सभी उत्साह से भाग लेते हैं। इस उत्सव पर एकत्रित भीड़ जिस श्रृद्धा एवं भक्ति के साथ धार्मिक अनुशासन में बंधी गणगौर की जय-जयकार करती हुई भारत की सांस्कृतिक परम्परा का निर्वाह करती है उसे देख कर अन्य धर्मावलम्बी भी इस संस्कृति के प्रति श्रृद्धा भाव से ओतप्रोत हो जाते हैं। ढूंढाड़ की भांति ही मेवाड़, हाड़ौती, शेखावाटी सहित इस मरुधर प्रदेश के विशाल नगरों में ही नहीं बल्कि गांव-गांव में गणगौर पर्व मनाया जाता है एवं ईसर-गणगौर के गीतों से हर घर गुंजायमान रहता है।

कामदेव मदन की पत्नी रति ने भगवान शंकर की तपस्या कर उन्हें प्रसन्न कर लिया तथा उन्हीं के तीसरे नेत्र से भष्म हुए अपने पति को पुनः जीवन देने की प्रार्थना की। रति की प्रार्थना से प्रसन्न हो भगवान शिव ने कामदेव को पुनः जीवित कर दिया तथा विष्णुलोक जाने का वरदान दिया। उसी की स्मृति में प्रतिवर्ष गणगौर का उत्सव मनाया जाता है। गणगौर पर्व पर विवाह के समस्त नेगचार व रस्में की जाती है।

होलिका दहन के दूसरे दिन गणगौर पूजने वाली लड़कियां होली दहन की राख लाकर उसके आठ पिण्ड बनाती हैं एवं आठ पिण्ड गोबर के बनाती हैं। उन्हें दूब पर रखकर प्रतिदिन पूजा करती हुई दीवार पर एक काजल व एक रोली की टिकी लगाती हैं। शीतलाष्टमी तक इन पिण्डों को पूजा जाता है। फिर मिट्टी से ईसर गणगौर की मूर्तियां बनाकर उन्हें पूजती हैं। लड़कियां प्रातः ब्रह्ममुहुर्त में गणगौर पूजते हुये गीत गाती हैः

गौर ये गणगोर माता खोल किवाड़ी, छोरी खड़ी है तन पूजण वाली।

गीत गाने के बाद लड़कियां गणगौर की कहानी सुनती है। दोपहर को गणगौर के भोग लगाया जाता है तथा कुए से लाकर पानी पिलाया जाता है। लड़कियां कुए से ताजा पानी लेकर गीत गाती हुई आती हैः-

म्हारी गौर तिसाई ओ राज घाट्यारी मुकुट करो,
बीरमदासजी रो ईसर ओराज, घाटी री मुकुट करो,
म्हारी गौरल न थोड़ो पानी पावो जी राज घाटीरी मुकुट करो।

लड़कियां गीतों में गणगौर के प्यासी होने पर काफी चिन्तित लगती है एवं गणगौर को जल्दी से पानी पिलाना चाहती है। पानी पिलाने के बाद गणगौर को गेहूं चने से बनी घूघरी का प्रसाद लगाकर सबको बांटा जाता है और लड़कियां गीत गाती हैः-

म्हारा बाबाजी के माण्डी गणगौर, दादसरा जी के माण्ड्यो रंगरो झूमकड़ो, ल्यायोजी - ल्यायो ननद बाई का बीर, ल्यायो हजारी ढोला झुमकड़ो।

रात को गणगौर की आरती की जाती है तथा लड़कियां नाचती हुई गाती हैं। गणगौर पूजन के मध्य आने वाले एक रविवार को लड़कियां उपवास करती हैं। प्रतिदिन शाम को क्रमवार हर लडकी के घर गणगौर ले जायी जाती है। जहां गणगौर का ''बिन्दौरा'' निकाला जाता है तथा घर के पुरुष लड़कियों को भेंट देते हैं। लड़कियां खुशी से झूमती हुई गाती हैः-

ईसरजी तो पेंचो बांध गोराबाई पेच संवार ओ राज म्हे ईसर थारी सालीछां। गणगौर विसर्जन के पहले दिन गणगौर का सिंजारा किया जाता है। लड़कियां मेहन्दी रचाती हैं। नये कपड़े पहनती हैं, घर में पकवान बनाये जाते हैं। सत्रहवें दिन लड़कियां नदी, तालाब, कुए, बावड़ी में ईसर गणगौर को विसर्जित कर विदाई देती हुई दुःखी हो गाती हैः- गोरल ये तू आवड़ देख बावड़ देख तन बाई रोवा याद कर। गणगौर की विदाई का बाद कई महिनो तक त्यौहार नहीं आते इसलिए कहा गया है-''तीज त्यौहारा बावड़ी ले डूबी गणगौर''। अर्थात् जो त्यौहार तीज (श्रावणमास) से प्रारम्भ होते हैं उन्हें गणगौर ले जाती है। ईसर-गणगौर को शिव पार्वती का रूप मानकर ही बालाऐं उनका पूजन करती हैं। गणगौर के बाद बसन्त ऋतु की विदाई व ग्रीष्म ऋतु की शुरुआत होती है। दूर प्रान्तों में रहने वाले युवक गणगौर के पर्व पर अपनी नव विवाहित प्रियतमा से मिलने अवश्य आते हैं। जिस गोरी का साजन इस त्यौहार पर भी घर नहीं आता वो सजनी नाराजगी से अपनी सास को उलाहना देती है। ''सासू भलरक जायो ये निकल गई गणगौर, मोल्यो मोड़ों आयो रे''।

हमें आज आवश्यकता है इस लोकोत्सव को अच्छे वातावरण में मनाये। हमारी प्राचीन परम्परा को अक्षुण बनाये रखे। इसका दायित्व है उन सभी सांस्कृतिक परम्परा के प्रेमियों पर है जिनका इससे लगाव है। जो ऐसे पर्वो को सिर्फ पर्यटक व्यवसाय की दृष्टि से न देखकर भारत के सांस्कृतिक विकास की दृष्टि से देखने के हिमायती हैं।

आज का पंचांग (शुक्रवार, 24 मार्च 2023)

सूर्योदय : 06:44 सूर्यास्त : 06:19
चन्द्रोदय : 07:16 चन्द्रास्त : 20:21

अयन उत्तरायणे (दक्षिणगोलीय)

ऋतु : बसंत, शक सम्वत : 1945 (शोभकृत), विक्रम सम्वत : 2080 (पिंगल), मास : चैत्र, पक्ष : शुक्ल, तिथि : तृतीया, नक्षत्र : अश्विनी, योग : इन्द्र (27:43 से वैधृति), प्रथम करण : बालव (07:16 तक), द्वितीय करण : कौलव (18:20 तक)।

॥ गोचर ग्रहाः ॥

सूर्य : मीन, चंद्र : मेष (14:18 से), मंगल : मिथुन (उदित, पश्चिम, मार्गी), बुध : मीन (अस्त, पूर्व, मार्गी), गुरु : मीन (उदित, पूर्व, मार्गी), शुक्र : मेष (उदित, पश्चिम), शनि : कुम्भ (उदित, पूर्व, मार्गी), राहु : मेष, केतु : तुला।

शुभाशुभ मुहूर्त विचार

अभिजित मुहूर्त : 11:59 से 12:48, अमृत काल : 11:53 से 13:23, सर्वार्थसिद्धि योग : पूरे दिन, विजय मुहूर्त : 14:26 से 15:14, गोधूलि मुहूर्त : 18:28 से 18:52, सायाह्न सन्ध्या : 18:30 से 19:40, निशिता मुहूर्त : 24:00 से 24:47, राहुकाल : 10:30 से 12:00, राहुवास : दक्षिण, यमगण्ड : 06:18 से 07:49, होमाहुति : सूर्य, दिशाशूल : दक्षिण, अग्निवास : पृथ्वी (18:20 तक), चन्द्रवास : उत्तर (पूर्व 14:08 से), शिववास : गौरी के साथ (18:20 से सभा में)।

चौघड़िया विचार

॥ दिन का चौघड़िया ॥

1 - शुभ, 2 - रोग, 3 - उद्वेग, 4 - चर, 5 - लाभ, 6 - अमृत, 7 - काल, 8 - शुभ

॥रात्रि का चौघड़िया॥

1 - अमृत, 2 - चर, 3 - रोग, 4 - काल, 5 - लाभ, 6 - उद्वेग, 7 - शुभ, 8 - अमृत

नोटः दिन और रात्रि के चौघड़िया का आरंभ क्रमशः सूर्योदय और सूर्यास्त से होता है। प्रत्येक चौघड़िए की अवधि डेढ़ घंटा होती है।

शुभ यात्रा दिशाः पूर्व-उत्तर (दही का सेवन कर यात्रा करें)

तिथि विशेष- आज 14:08 पर, सिंजारा, भूमि-भवन क्रय-विक्रय मुहूर्त प्रातः 06:18 से दोपहर 02:07 तक आदि।

आज जन्मे शिशुओं का नामकरण

आज जन्मे शिशुओ का नाम अश्विनी नक्षत्र के प्रथम, द्वितीय एवं तृतीय चरण अनुसार क्रमशः (चू, चे, चो) नामाक्षर से रखना शास्त्रसम्मत है।

उदय-लग्न मुहूर्त

मीन - 29:59 से 07:22, मेष - 07:22 से 08:56, वृषभ - 08:56 से 10:51, मिथुन - 10:51 से 13:06, कर्क - 13:06 से 15:27, सिंह - 15:27 से 17:46, कन्या - 17:46 से 20:04, तुला - 20:04 से 22:25, वृश्चिक - 22:25 से 24:44, धनु - 24:44 से 26:48, मकर - 26:48 से 28:29, कुम्भ - 28:29 से 29:55।

पञ्चक रहित मुहूर्त

मृत्यु पञ्चक - 06:18 से 07:22, रोग पञ्चक - 07:22 से 08:56, शुभ मुहूर्त - 08:56 से 10:51, मृत्यु पञ्चक - 10:51 से 13:06, अग्नि पञ्चक - 13:06 से 14:08, शुभ मुहूर्त - 14:08 से 15:27, रज पञ्चक - 15:27 से 17:46, शुभ मुहूर्त - 17:46 से 18:20, चोर पञ्चक - 18:20 से 20:04, शुभ मुहूर्त - 20:04 से 22:25, रोग पञ्चक - 22:25 से 24:44, शुभ मुहूर्त - 24:44 से 26:48, मृत्यु पञ्चक - 26:48 से 28:29, अग्नि पञ्चक - 28:29 से 29:55, शुभ मुहूर्त - 29:55 से 30:16।

आज का राशिफल

ज्योतिषाचार्य वास्तुविशेषज्ञ डॉक्टर देवव्रत गुरुजी

मेष-आज के दिन भी स्थिति निराशाजनक रहेगी दिन के आरंभ से ही हानि के डर से किसी भी कार्य को करने से कतराएंगे।

वृष - आज का दिन मध्यान तक लाभदायक रहेगा। इसके बाद का समय घरेलू अथवा व्यावसायिक उलझनों की भेंट चढेगा।

मिथुन- आज का दिन सरकार संबंधित कार्य करने के लिये शुभ रहेगा अधिकारी वर्ग का नरम व्यवहार रहने से काम निकालना आसान होगा।

कर्क- आज के दिन आपके आध्यात्मिक क्षेत्र में उन्नति के योग बन रहे है। आज परोपकार की भावना भी प्रबल रहेगी।

सिंह- आज का दिन मध्यान तक बेचैनी वाला रहेगा। आप का संकल्प किसी ना किसी व्यवधान के कारण पूर्ण नही हो पायेगा।

कन्या- आज के दिन मध्यान बाद से आपको आशा के विपरीत फल मिलने लगेगा सेहत भी साथ नही देगी आवश्यक कार्य इससे पहले ही पूर्ण करने का प्रयास करें।

तुला- आज का दिन पिछले दिनों की अपेक्षा सुधार वाला रहेगा। सेहत में सुधार आने से कार्य गंभीर होकर करेंगे।

वृश्चिक- आज का दिन आपकी आशाओ के विपरीत रहने से मन मे नकारात्मक भाव आएंगे लेकिन आध्यात्म से जुड़ने का लाभ भी किसी ना किसी रूप में अवश्य ही मिलेगा।

धनु- आज का दिन मिला-जुला फल देगा। मध्यान बाद स्वभाव में विवेक जागृत होगा। पूर्व में किये गए गलत आचरण की ग्लानि मन में रहेगी।

मकर- आज का दिन आपके लिए अनुकूल परिस्थिति वाला रहेगा पूर्व में सोची योजनाएं सिरे चढ़ने से आय के नए मार्ग विकसित होंगे।

कुंभ- आज का दिन शुभ फलदायक रहेगा आज आप जल्दी से किसी ठोस निर्णय पर नही पहुच पाएंगे फिर भी पुराने संपर्क और पूर्व में किये गए परोपकार का बदला लाभ के रूप में अवश्य मिलेगा।

मीन- आज के दिन आपमे भावुकता अधिक रहेगी। दिन के आरंभ से मध्यान तक कि दिनचार्य व्यवस्थित रहेगी लाभ की आशाएं भी बनी रहेंगी।

पाठकों की बात

पत्र, प्रतिक्रियाएं, सोशल मीडिया

मैं नदी की

मैं: नदी की शीतल धारा, गगन का चमकीला तारा, दर्पण में उज्ज्वल संवाद, करती अमृत हर विवाद, पत्तों पर ठहरी बूँद, छाँटती कोहराती धुंध, भावनाओं की परिकाष्ठा, कभी न ख़त्म होती आस्था, आसमाँ को छूती हुई, पर्वत की धारदार नोंक, मंज़िल, मैं पथिक की जहां न कोई रोक टोक।

– अनुभूमि अनु

सुबकती हैं बहुत

सुबकती हैं बहुत आँखे हमारी सुनाई जब पड़े आहें तुम्हारी पलक मैं बन्द करके बैठ जाती कभी आती हैं जब यादें तुम्हारी कि मैं हँस देती हूँ रोते हुए भी कभी जब सोचती बातें तुम्हारी तुम्हारे साथ मैं भी जागती थी नहीं कटती थी जब रातें तुम्हारी कभी यूँ हो कि तुम फिर से बुलाओ मैं अब भी देखती राहें तुम्हारी।

– नीरू 'निराली

खास पाती | आओ हमसब मिलकर ले प्रण

आओ हमसब मिलकर ले प्रण करें राष्ट्र आराधन। प्रतिपदा नवसंवत्सर नववर्ष का करें अभिनंदन। पाश्चात्य संस्कृति का छोड़े अंधा -अनुकरण निज का मान बढ़ाने आज करें नव - यतन । देखो सूरज की प्रथम रश्मि से नहाई धरा। प्रस्फुटित नव कोपल , प्रफुल्लित प्रकृति हरा। अमुआ की डाली लदी फलों से चहके पक्षीगण। मंदार,मधुमालिनी, मोंगरा से महके घर उपवन। चैत्र-नवरात्रि का पर्व आया लिए सकारात्मक विचार हुई नवदुर्गा अवतरित , करने अधम पापियों का संहार । मन में बहती अध्यात्म की गंगा , होता शक्ति का संचार। सुख का अखंड दीप जले ,ऐसा पावन अपना त्यौहार। **– वर्षा ठाकुर**

पिता छोड़ गये हैं स्नेह

पिता छोड़ गये है स्नेह की ठण्डी छाँव भाईयों में भाभियों का दूलार माँ की आखों में आस पिता छोड़ गयें है जिम्मेदारी का अहसास बड़े होने की तलाश परिवार की एकता को बचाये रखने का गुर पिता छोड़ गयें है घर का सुकून माँ का साया बहन का अपनत्व भरा पूरा परिवार पिता छोड़ गये है विरासत में संस्कार अपना अंश हम में बन्धे पाँव एक सुन्दर घर में पिता छोड़ गयें है हमे। **– अल्पना हर्ष**

यूट्यूब आदि पर न्यूज पोर्टल के

यूट्यूब आदि पर न्यूज पोर्टल के स्वयंभू कमांडरों ,पत्रकारों के लाखों फालोवर होते है, कुछ ही सेकेंड मे इनके विडियो के लाखों शेयर होते है ,ये जब चाहे माहौल खराब कर सकते है ,सरकार ऐसे न्यूज पोर्टल और ओ टी टी पर जो हिंसा ,सेक्स, गाली-गलौज से भरपूर एडल्ट सीरीयल बनाते है पर लगाम के लिये नियम बनाये ,यह समय की मांग है। **– अरूण कुमार गुप्ता**

पहले पहल मुसीबत हमला?

पहले पहल मुसीबत हमला? करती है फिर देखो ये हिम्मत क्या क्या करती है अपनी मेहनत से जो राह बनाते हैं उनके आगे किस्मत सजदा करती है इश्क़ से हम दोनो के सब नाराज़ हैं पर रश्क हमीं से सारी दुनिया करती है बस ये सोच के मैंने उसको माफकिया नफ़रत सिर्फ अजीयत पैदा करती है जंगल हो या सोने की लंका यारो आग से हर इक शय जल जाया करती है राजा जो वनवासी बनता है उसकी दुनिया युगों युगों तक पूजा करती है। **– राजीव कुमार**

वक्त वक्त की बात है और वक्त

वक्त वक्त की बात है और वक्त सभी का आता है जो राजा डूबा अहंकार में वो भी रंक हो जाता है जो रंक फिरे था मारा मारा वो भी राजा बन जाता है वक्त वक्त की बात है भईया और वक्त सभी का आता है। **– प्रिया मिश्रा वेणी**

प्यास जगेगी तो पानी भी पूछा जाएगा

प्यास जगेगी तो पानी भी पूछा जाएगा पानी ढूंढता है प्यासा कहाँ है ? पर ये ढूँढना ही हम भूल गए हैं , जबकि प्यास और पानी दोनों हमेशा मौजूद रहे हैं चढ़ो मत मन गिरो नीचे की तरफ बूंद नहीं है वहाँ बूंदों का समंदर है।

– केदारनाथ शब्द मसीहा

अपने-अपने राग है, अपने ध्वजा

अपने-अपने राग है, अपने ध्वजा निशान। भाषाओं से भाव की, कविता दे पहचान। कविता दे पहचान, ज्ञान करती संवर्धित। मिले छन्द से मान, रसों से पगी अलंकृत। रखें व्याकरण युक्त, रचें पुनि बिना दाग है। प्रथक साज गुण रंग, प्रथक ही बजे राग है। **– हरिवल्लभ शर्मा हरि**

आज का इतिहास

नई दिल्ली (वार्ता)। 1837- कनाडा में अश्वेत नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया। 1855- कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली के बीच पहली बार टेलीग्राफ से लंबी दूरी संदेश प्रेषित किया गया। 1878- ब्रिटेन के युद्धपोत यूरीडाइस के पलटने से 300 लोग लापता हो गये। 1883- न्यूयॉर्क और शिकागो के बीच पहली बार फोन से बातचीत हुई। 1932- अमेरिका में पहली बार चलती ट्रेन से रेडियो का प्रसारण किया गया। 1953- ब्रिटेन की महारानी की दादी महारानी मैरी का सोते हुए निधन। 1959- इराक ने बगदाद संधि से खुद को अलग कर लिया। 1977- मोरारजी देसाई भारत के चौथे प्रधानमंत्री बने, उन्होंने केंद्र में पहली बार गैर-कांग्रेसी सरकार बनाई। 1979- बॉलीवुड अभिनेता इमरान हाशमी का जन्?म। 1993- एजर वीजमैन इजरायल के राष्ट्रपति चुने गए। 1994- जैकब जुलु का गीत प्लायमाउथ थिएटर न्यूयॉर्क सिटी में खुला।

QUIZ TIME

1) कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन किया गया?
2) सागर परिक्रमा कार्यक्रम का पहला चरण किस राज्य में शुरू किया गया?
3) किसे पश्चिम बंगाल का 22वाँ राज्यपाल नियुक्त किया गया?
4) अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा विश्व डेयरी शिखर सम्मेलन 2022 का आयोजन किस देश में किया गया?
5) सत्यजीत रे लाइफटाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2022 से किसे सम्मानित किया गया?

Ramaquiz

उत्तरमाला- (1) कुरुक्षेत्र (2) गुजरात (3) सी0 वी0 आनंद बोस (4) भारत (5) कार्लोस सौरा

प्रेरक प्रसंग – योग्य गुरु की तलाश

किसी समय में एक राजा हुआ करता था। एक दिन उस राजा के दिमाग में आया की एक योग्य गुरु की तलाश किया जाए। राजा ने राज्य में घोषणा करवा दिया की, जिसका भी आश्रम सबसे बड़ा होगा, राजा उसे अपना गुरु स्वीकार कर लेगा।

फीर क्या था घोषणा सभी तरफआग की तरह फैल गयी और देखते ही देखते अनेक सन्देश आने लगे की मेरा आश्रम बड़ा है मेरा आश्रम बड़ा है। और अगले दिन सभी अपने-अपने आश्रम का नक्शा लेकर राजमहल राजा के पास पहुंच गए।

सभी ने राजा के सामने अपनी प्रस्ताव रखी, राजा भी एक-एक करके सबकी बात सुनता गया। फीर अंत में एक तेजस्वी साधु बाबा की बारी आयी।

राजा ने उस तेजस्वी बाबा से पूछा की आपने तो बताया ही नहीं की आपका आश्रम कितना बड़ा है।

सन्यासी बाबा ने कहा- राजन, मै यहाँ पर कुछ नही बताऊंगा। आप मेरे साथ स्वयं जंगल चल सकते हैं, वहां मै आपको मेरा आश्रम दिखा दूंगा।

राजा साधु की बात पर राजी हो गया, और जंगल जाने को तैयार हो गया। फीर राजा और साधु जंगल पहुचें, जंगल पहुंच कर साधु एक वृक्ष के नीचे आसन बिछा कर बैठ गया। राजा ने सवाल किया की सन्यासी महाराज कहाँ है आपका आश्रम।

साधु बाबा ने कहा - हे राजन, ऊपर आकाश, नीचे धरती और बीच में ये सारा संसार, यही है मेरा आश्रम। अगर आपके पास कोई मापने का वस्तु या यंत्र हो तो माप लो की मेरा आश्रम कितना बड़ा है।

राजा ने इस बात को सुनकर तुरंत उस तपस्वी बाबा को अपना गुरु मान लिया।

कहानी का तात्पर्य यह है कि चाहे सीमा धर्म की हो या आश्रम की हो। जो सीमा में बंध जाता है, उसकी सोंच और दृष्टिकोण भी एक सीमा तक सिमित हो जाती है। हमें ये जानना बहुत जरुरी है की हमारी ज्ञान और बुद्धि की सीमा सिमित नहीं होनी चाहिए। इसमें असीमितता की बात होनी चाहिए, हमेसा अपनी सोंच को उच्च और साफसुथरा रखें।

वर्ग पहेली

शब्द सामर्थ्य -012

(भागवत साहू)

बाएं से दाएं

1. जल छिड़कना, राजा के सिंहासन रोहन का अनुष्ठान 4. मवाद, पीब (अं) 6. जाति 7. हाथ से धीरे-धीरे ठोंकना, थपकना 9. कमल रोग से ग्रसित व्यक्ति (उ.) 11. किरण 12. छौंक, तड़का 13. दुखदायी, दर्दनाक 15. विवाद, कहासुनी, तकरार 18. समूह, दल, समुदाय 19. दण्ड 20. काजल 22. अनाथ, निराश्रित, यतीम 24. दुख, शोक 25. एक प्रसिद्ध सफेद पक्षी, बक 26. राज्य का विदेश में प्रतिनिधि।

ऊपर से नीचे

1. विचित्र, अद्भुत 2. अंदर ही अंदर हानि पहुंचाना 3. वचन, वाणी 4. गुमराह, जो रास्ते से भटक गया हो 5. मुलायम सिंह की पार्टी का संक्षिप्त नाम 8. ब्रह्मापुत्र एक प्रसिद्ध देवर्षि 10. कार्यविली, करस्तानी, प्रशंसनीय कार्य 13. दासी, नौकरानी, बांदी, गुलाम स्त्री 14. प्रवृत्त करने वाला, प्रेरित करने वाला, आविष्कारक 16. श्रीकृष्ण के बड़े भाई, हलधर 17. सामान (उ.) 21. संसार, दुनिया 22. समय, चमेली की जाति का एक पौधा और फूल 23. पराजित, परास्त।

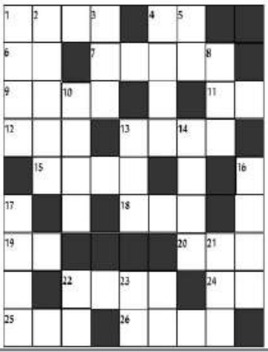

शब्द सामर्थ्य क्रमांक 011 का हल

दि	क्ष	त	■	आ	सा	न	■	आ
ल	■	मी	■	खि	■	सी	ख	ना
■	म	ज	बू	र	■	ह	■	जा
स	र्द	■	■	का	■	त	रा	ना
र	■	■	■	र	वि	■	ह	■
प	ह	ना	ना	■	ना	रा	ज	■
ट	■	■	क	शि	श	■	नी	ला
■	र	■	■	का	■	रा	■	य
खा	ति	र	दा	री	■	त	क्ष	क

दैनिक
नव प्रदेश
प्रदेश के साथ पूरा देश...
RNI NO.CHHHIN/2012/41806 रायपुर, शुक्रवार 24 मार्च 2023, कृष्ण पक्ष तृतीया, विक्रम संवत-2080 वर्ष-12 अंक-42 पृष्ठ-08 मूल्य-4 रुपए रायपुर, बिलासपुर, भोपाल, जबलपुर व रांची से एक साथ प्रकाशित www.navpradesh.com

सीएम का बड़ा ऐलान : 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी सरकार

रायपुर/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा विनियोग विधेयक पर चर्चा के साथ इस सरकार के कार्यकाल का अंतिम विधानसभा सत्र का गुरूवार को अवसान भी हो गया। सीएम भूपेश बघेल ने इस दौरान प्रदेश के अन्नदाताओं के लिए बड़ी घोषणा करते हुए 2023-24 में किसानों से प्रति एकड़ 15 की जगह 20 क्विंटल धान खरीदी करने का बड़ा ऐलान किया है। मुख्यमंत्री के इस घोषणा को इसी साल नवंबर-दिसंबर में प्रस्तावित विधानसभा चुनाव के लिए बड़ा दाव माना जा रहा है। इसके पहले विनियोग विधेयक पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने सरकार पर कई आरोप लगाते हुए प्रदेश को बिना विकास के गर्त में धकलने का आरोप लगाया।

छत्तीसगढ़ विधानसभा में चल रहा बजट सत्र के कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई। वहीं इससे पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि किसान अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। सीएम ने 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदने की घोषणा की है। छत्तीसगढ़ के अन्नदाताओं के सशक्तिकरण के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। इसलिए अब सरकार किसानों से 15 की जगह 20 क्विंटल प्रति एकड़ धान खरीदेगी। सदन में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक पर अपने प्रस्ताव रखें। वहीं आबकारी व उद्योग मंत्री कवासी लखमा ने सदन में सीएम की तारीफ करते हुए कहा कि किसान के बेटे हैं मुख्यमंत्री, इसलिए किसानों की आवाज सुनी। इसके साथ ही सीएम बघेल ने कहा कि मड़वा में स्थापित पावर प्लांट देश का सबसे महंगा प्लांट है, जितनी जमीन जरूरत थी उससे तीन गुना ज्यादा जमीन ली गई।

1 अप्रैल से आवासहीनों का सर्वे

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि एक अप्रैल से आवासहीनों का सर्वे होगा जिन्हें क्रमबद्ध तरीके से आवास उपलब्ध कराया जायेगा। वहीं उज्वला योजना और शौचालय का भी सर्वे होगा विपक्ष के लोग सहमत है कि नही बताएं। शहीद महेन्द्र कर्मा तेंदूपत्ता संग्राहक योजना का लाभ दिया जा रहा है। पहले जहां बीमा योजना के लिए 2 से 3 साल लग जाते थे। लेकिन अब संग्राहकों को बीमा योजना का लाभ 2 से 3 माह में मिल जाता है।

धान खरीदी की घोषणा पर भाजपा ने किया पलटवार

सीएम बघेल की धान खरीदी की घोषणा पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल और पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने पलटवार किया। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा, साढ़े 4 साल में क्यों नहीं किया? यहां के किसान नहीं समझते क्या? अब धान खरीदी होगी कब? धान खरीदी जो है विधानसभा चुनाव के बाद होगी। नवंबर में विधानसभा चुनाव होगा, दिसंबर से धान खरीदी होगी, जो नई सरकार बनेगी वह सरकार धान खरीदी करेगी। घोषणा करने में क्या है हम तो चाहते हैं कि 25 क्विंटल की घोषणा करें। वहीं पूर्व मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने भी कहा कि, नवंबर 2023 के चुनाव में बीजेपी आने वाली है। इसलिए अपने हार के डर से 20 क्विंटल की खरीदी की घोषणा की है। अगर घोषणा पूरी यह नहीं करेंगे तो उसे हम पूरा करेंगे।

लोकतंत्र का होना चाहिए सम्मान

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने आगे कहा, 24 तारीख तक सत्र चलाने की सहमति बनी थी, लेकिन एक दिन पहले ही समाप्त कर दिया गया। लोकतंत्र और विधायिका का सम्मान होना चाहिए। आज हम लोगों ने बड़े दुखी मन से सत्र के समापन का बहिष्कार किया।

नेता प्रतिपक्ष पर सीएम ने किया व्यंग

सीएम ने नेता प्रतिपक्ष चंदेल पर व्यंग करते हुए कहा कि, पानी हम सम्हाल लेंगे पर आप जवानी सम्हालिए। छत्तीसगढ़ वनाधिकार पट्टा वितरण में पहले नंबर पर है। राजनीतिक आंदोलनकारियों के प्रति हमारी कभी दुर्भावना नहीं होती, बीजेपी के नेता ही उकसाने की कोशिश करते हैं। ईडी और आईटी के माध्यम से आपने प्रताड़ित करने का ठान लिया है। मनी लांड्रिंग के देखरेख का काम वित्त विभाग का है। सबसे ज्यादा डर बीजेपी को कांग्रेस और राहुल गांधी से है, हर स्तर पर जाकर कार्रवाई की जा रही है।

उद्योग नीति पर भी सीएम ने दिया जवाब

आगे सीएम बघेल ने कहा, छग में उद्योग नीति पर सवाल उठाए जा रहे थे पर बीजेपी शासन काल में 2018 तक में 8597 करोड़ और 2018 से 2022 तक 107170 करोड़ का निवेश हुआ है। गरीब कल्याण योजना के तहत 98 प्रतिशत राशन कार्ड बनाया। अरिशेष राशन में 173 करोड़ की गड़बड़ी पाई गई, हम कार्रवाई कर रहे है. 13 दुकान निरस्त हुई। सीएम बघेल ने यह भी कहा कि, बीजेपी शासन काल में नान घोटाला हुआ, 18 लाख फर्जी राशन कार्ड बने, धान में बलौदा बाजार में 1 हजार करोड़ का घोटाला, कुनकुरी का चावल घोटाला, जो घोटालों के भीष्म पितामह है वो हम पर आरोप लगा रहे।

भाजपा विधायकों ने समापन समारोह का किया बहिष्कार

भाजपा के वरिष्ठ सदस्य बृजमोहन अग्रवाल ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा, इस सरकार के ऊपर कोई विश्वास नहीं करने वाला है। सरकार को समझ में आ गया कि जनता ने इन्हें हटाने का निर्णय ले लिया है। आज सदन में जो परिस्थितियां पैदा हुई हैं, पहली बात तो बजट सत्र इतना छोटा पिछ्ले 22 सालों में कभी नहीं हुआ और बजट सत्र 13-14 दिनों का बुलाने के बाद भी सत्र के दौरान पानी और ओले गिरने फसल बर्बाद हुई उस पर चर्चा नहीं हो पाई। कानून व्यवस्था पर चर्चा नहीं हो पाई। बैठक में तय हुआ था कि, 24 तारीख तक बजट सत्र चलेगा और उसे 1 दिन पहले समाप्त किया गया। उसके कारण हमने समापन समारोह का बहिष्कार किया।

कांग्रेस राज में चमत्कार हो रहा

अजय चंद्राकर ने कहा कि कांग्रेस राज में (चमत्कार) हो रहा है. राजीव मितान क्लब की पंजीयन की नियम-शर्तें क्या हैं? विधानसभा में कभी खेलमंत्री या मुख्यमंत्री ने चर्चा नहीं की है. खेलो इंडिया में 21 खिलाड़ियों का दल गया था, उन्हें 1 रुपए का सहयोग नहीं दिया गया. 175 करोड़ का खेल के लिए बजट लाया गया. उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में शिक्षा के क्षेत्र में 1 लाख 7 हजार 553 पद रिक्त हैं, उसके लिए जिम्मेदारी कौन लेगा? सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा नहीं है. स्कूलों में खरीदी के मामले पर 100 करोड़ से अधिक के घोटाला किया गया है. स्वास्थ्य सेवा की प्राथमिकता में राजनीति हो रही.

विधानसभा में की गई प्रमुख घोषणाएं

- सक्ती में खुलेगा स्वामी आत्मानंद स्कूल और नवीन शासकीय महाविद्यालय
- सारांगाव के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन
- अंडा (साजा) में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र और मिडिल स्कूल का हाई स्कूल में उन्नयन
- तराजु (लखनपुर) में मिडिल स्कूल
- टेमरी-बनरसी को नगर पालिका का दर्जा
- हरदी बाजार (कोरबा) के स्कूल को अनुदान
- कुरूद के महाविद्यालय में विज्ञान संकाय में माईक्रोबायलॉजी एवं अन्य विषय खोलने की घोषणा
- रायपुर मेडिकल कालेज में 200 पदों पर की जाएगी भर्ती

भाजपा पर सीएम ने कसा तंज

विनियोग पर चर्चा के दौरान सीएम भूपेश बघेल बीजेपी को निशाने पर लेते हुए कहा कि, गरीबों का चावल खा गए। और हम कार्रवाई करने गए तो आप कोर्ट चले गए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान पर पलटवार करते हुए पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा कि, आप चर्चा करा लीजिए, और फिर कार्रवाई करिए। इधर सदन में विनियोग विधेयक ध्वनिमत से पारित हो गया।

अजय चंद्राकर अभी तक नहीं समझ पाए

सीएम भूपेश बघेल ने कहा की अजय जी अभी तक समझ नहीं पाए है कि राज्य सरकार का ऋण किस पर है। 82 हजार करोड़ रुपए कर्ज है, 1 लाख 21 हजार करोड़ का बजट है। कोरोना के बावजूद अर्थव्यवस्था के आकार में 56 फीसदी बढ़ोतरी हुई। कुल व्यय 2018 की तुलना में 2023-24 में राज्य का राजस्व 56 हजार 200 करोड़ अनुमानित है।

सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही : चंदेल

इसके पहले विनियोग पर नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि इस सरकार का यह पांचवां और अंतिम बजट है। सरकार के सवा चार साल का कार्यकाल निकल गया है। हम इस बजट का विरोध करते है क्योंकि बिना विकास के यह प्रदेश गर्त में जा रहा है। प्रदेश के युवा नशे और अपराध की ओर अग्रसर हो रहे हैं। प्रदेश में शराब, गांजा, अफीम एवं कोकिन जैसी नशील दवाईयों की आसानी से उपलब्धता के कारण युवा वर्ग नशे की चपेट में आ गए हैं। युवा वर्ग के नशे की चपेट में आने से राज्य का भविष्य क्या होगा यह चिंता का विषय है। प्रदेश में घटित अपराधों का मुख्य कारण पैसा एवं नशे की लत है। यह सरकार प्रदेश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रही है। छत्तीसगढ़ सरकार की सबसे महत्वपूर्ण योजना नरवा, गरवा, घुरवा, बाड़ी पूर्णता असफल है। केंद्र सरकार से मनरेगा योजना के अंतर्गत प्राप्त होने वाली राशि का करोड़ों रूपया खर्चा करने के बाद भी आज वर्ष 2022-23 में प्रदेश में 10818 स्वीकृत गोठानों में से 8804 पूर्ण अभी 2014 अभी भी अपूर्ण है। दो हजार से अधिक गौठान का निर्माण नहीं हो पाया है जो कि स्वीकृत हैं। जिन गौठान का निर्माण हुआ है उसमें भारी भ्रष्टाचार हुआ है। गौठान के रख-रखाव, संचालन व चारा व्यवस्था के लिए सैकड़ों करोड़ खर्च कर दिये गये। इस योजना में एक बड़ी राशि भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। वहीं प्रदेश में लगभग 700 से अधिक किसानों के द्वारा सरकार की लापरवाही के चलते आत्महत्या की गई है, लेकिन इनके लिए मुआवजा का कोई प्रावधान नही रखा गया है। सरकार की रोका छेका अभियान भी फेल हो गई। यह अभियान पूर्णता असफल है। गौठान में गोवंश रहने के बजाय किसान के खेत में गाय फसल चर रही है जिससे किसान परेशान हैं। अरबों रुपए खर्चा करने के बाद भी आज मवेशियों द्वारा किसानों के फसल बर्बाद करने के कारण किसान परेशान हैं। सड़कों पर गोवंश के बैठने के बाद लगातार सड़क दुर्घटना हो रही है। उन्होंने कहा कि गोधन न्याय योजना यह योजना सरकार की नाकामी का श्रेष्ठ उदाहरण है। लगभग 211 करोड़ रुपए का गोबर खरीदने के पश्चात उससे कम राशि के वर्मी कंपोस्ट और सुपर फास्फेट के विक्रय किया गया है। सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को खरीफ फसल के लिए गुणवत्ताहीन वर्मी कंपोस्ट और सुपर कम्पोस्ट खरीदने के लिए विवश किया गया, जिससे उनका उत्पादन प्रभावित हो रहा है और उन्हें आर्थिक नुकसान हो रहा है। जनघोषणा पत्र में किये गये वादे के अनुसार प्रदेश के किसानों को 02 वर्ष के बोनस के लिए वर्ष 2023-24 के बजट में राशि का प्रावधान नहीं किया गया है। सरकार के सावा चार साल बीत जाने के बाद भी इस ओर गंभीरता नहीं दिख रही है क्या राजनीतिक लाभ के लिए चुनाव के समय इसकी घोषणा करेंगे? नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि सरकार की इस बजट में किसानों के लिए कर्जा माफी का प्रावधान नहीं किया गया है। प्रदेश के 96724 किसानों द्वारा निजी बैंक के लिए गए अल्पकालीन ऋण माफ नहीं किया है इसके लिए बजट में कोई प्रावधान नहीं किया गया है। पिछले 4 वर्षो में किसानों को दिये जाने वाले स्थायी पंप कनेक्शन के लक्ष्यों की पूर्ति नहीं की गई है। प्रदेश में वर्तमान में स्थायी पंप कनेक्शनों हेतु किसानों के 58000 (अठावन हजार) आवेदन लंबित है। किसानों को दिया जाने वाला अनुदान भी कम कर दिया गया है। पहले एक लाख तक का मुआवजा दिया जाता था। उद्योगों के बकाया जल कर को लेकर कहा कि 5 दिसंबर 2022 की स्थिति में प्रदेश में संचालित उद्योगों से राशि 2 लाख 87 हजार 814.712 रुपए बकाया है। बोधघाट परियोजना वर्तमान में आज तक केवल सर्वे ही चल रहा है। जब छत्तीसगढ़ का गठन हुआ तब प्रदेश में 3 वृहद, 29 मध्यम और 1900 लघु सिंचाई परियोजना संचालित थी। अभी 8 वृहद, 38 मध्यम व 2466 लघु तथा 801 एनीकट परियोजना है तथा 4 वृहद परियोजना, अरपा भैसाझार, केलो, राजीव समोदा व सोंढुर परियोजना आज भी पूर्ण नही हुई है प्रगतिरत् है। विगत सवा 04 वर्षों में एक भी वृहद परियोजना प्रारम्भ नहीं की गई है।

सीएसआर को लेकर विपक्ष ने सरकार को घेरा असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने किया वॉकआउट

रायपुर/नवप्रदेश। विधानसभा के बजट सत्र के 14वें दिन गुरूवार को बजट सत्र शुरू होते ही प्रश्नकाल में विपक्ष ने सीएसआर का मुद्दा उठाकर सत्ता पक्ष को घेरा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि मुताबिक यहां की जमीन, कोयला, और पानी सब कुछ लूटा जाता है। चंदेल ने सीएसआर का राजनीतिकरण करने का आरोप लगाया। इस पर बहस के बाद सत्ता पक्ष के जवाब से असंतुष्ट बीजेपी विधायकों ने वॉकआउट कर दिया। सत्र के 14वें दिन की शुरुआत में दिवंगत पूर्व विधायक नीलिमा सिंह टेकाम को श्रद्धांजलि दी गई। सदन में मौन रखकर कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित की गई। 10 मिनट बाद फिर से कार्यवाही शुरू हुई। चंदेल ने पूछा- कोरबा, बिलासपुर और जांजगीर-चांपा में 2021-22, 2022-23 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक किन-किन औद्योगिक संस्थानों से कितनी राशि सीएसआर से प्राप्त हुई? राज्य की जमीन पर उद्योग लगते हैं? राज्य के संसाधनों का उपयोग होता है लेकिन सीएसआर फंड के उपयोग के लिए कोई नीति नहीं है? मापदंड के अनुरूप कितनी राशि प्राप्त होनी थी और कितनी राशि प्राप्त हुई? जवाब में मंत्री मो. अकबर बोले- जिन कंपनियों ने सीएसआर फंड के तहत राशि नहीं दी है, उन्हें राशि देनी है, जो कंपनियां देरी करती हैं उन पर कार्रवाई करने का भी नियम है। नारायण चंदेल ने कहा-ओडिशा राज्य ने सीएसआर फंड के उपयोग के लिए स्पष्ट नीति बनाई है, लेकिन छत्तीसगढ़ में ऐसी कोई नीति नहीं है। मंत्री मो.अकबर ने कहा कि-ओड़िसा की नीति मंगाकर अध्ययन कर लिया जायेगा। वहीं बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कहा- सीएसआर देने के लिए जब कंपनियां बाध्यकारी हैं ऐसी स्थिति में जो कंपनियां सीएसआर जमा नहीं करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करने की जिम्मेदारी किसकी है? मो.अकबर बोले- कंपनी अधिनियम के तहत कार्रवाई की जाती है। कंपनी के खिलाफ केंद्र के एक्ट के तहत ही हो सकती है। अजय चंद्राकर ने कहा- राज्य सरकार की क्या भूमिका है? मो. अकबर ने कहा- राज्य सरकार को सीधी कार्रवाई करने का अधिकार नहीं है। राज्य सरकार कंपनी अधिनियम के पालन करने के लिए कंपनी को कह सकती है, लेकिन कार्रवाई कंपनी अधिनियम के तहत ही होगी।

विधानसभा में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 पारित

मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभा परिसर में मीडिया प्रतिनिधियों से चर्चा करते हुए कहा कि आज का दिन छत्तीसगढ़ विधानसभा और छत्तीसगढ़ के लिए ऐतिहासिक दिन है, हमारे पत्रकार साथियों के लिए यह बहुत ही अविस्मरणीय दिन रहा है। क्योंकि आज छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 न केवल विधानसभा में प्रस्तुत हुआ, बल्कि पारित भी हुआ है। हमारे पत्रकार साथी जो अपनी जान जोखिम में डालकर, अंदरूनी क्षेत्रों में जाकर खबर लाते हैं। बहुत सारे ऐसे लेख भी लिखते हैं, जिनसे उनको, उनके परिवार के लोगों को खतरा बढ़ जाता है। साथ ही धनहानि के साथ जनहानि की संभावना भी बन जाती है। ऐसे में जितने भी हमारे पत्रकार हैं, चाहे वे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हों, चाहे प्रिंट मीडिया के हों, चाहे पोर्टल के हों। सभी साथियों के जो ऑफिस में काम करते हैं और वो भी जो गांव में काम करते हैं, जिनका अधिमान्यता पत्र नहीं है उनका रजिस्ट्रेशन करने का, अगर प्रेस कहता है कि वो हमारे साथ हैं और जो लगातार छह महीने के अंदर उसमें तीन लेख लिखे हों या स्टोरी की हो, ऐसे लोगों को छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा कानून के दायरे में लाया गया है, ताकि उनकी सुरक्षा हो सके। यदि कोई शासकीय कर्मचारी उनके साथ दुर्व्यवहार करते हैं तो उनकी शिकायत के लिए समिति बनी है। समिति को अधिकार संपन्न बनाया गया है। यह समिति प्रदेश स्तर पर होगी, जिसमें पत्रकार भी होंगे, उसमें अधिकारी गण भी होंगे, छह लोगों की समिति बनेगी, जो सुनवाई करेगी और आवश्यक निर्देश भी दे सकेगी और दण्ड का भी प्रावधान है। यदि उसके निर्णय से संतुष्ट नहीं हैं, तो अपील का भी प्रावधान रखा गया है। लेकिन यदि कोई गलत शिकायत करता है तो उसमें भी दण्ड का प्रावधान रखा गया है। देश में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक-2023 की चर्चा भी थी, प्रदेश में बहुत दिनों से इसकी प्रतीक्षा भी थी। छत्तीसगढ़ देश का दूसरा राज्य है, जहां छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक पारित किया गया है। उन्होंने कहा कि जन घोषणा पत्र में हमने जो वादा किया था, आज उसमें से एक और वायदा पूरा कर दिया गया है।

पूर्व नेता प्रतिपक्ष ने रोजगार का मसला उठाया

पूर्व नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक हुए एमओयू, निवेश और रोजगार का मसला प्रश्नकाल में उठाया। जिस पर उद्योग मंत्री कवासी लखमा की ओर से आए लिखित उत्तर में दी गई जानकारी- जनवरी 2020 से जनवरी 2023 तक कुल 192 एमओयू हुआ, 96442.47 करोड़ का निवेश होना था, 1 लाख 24 हजार 336 लोगों को रोजगार मिलना था। इस अवधि के दौरान 9 एमओयू निरस्त हुआ। बाकी 183 एमओयू में से 137 निवेशकों द्वारा क्रियान्वयन शुरू किया गया, इसमें से 92 एमओयू इकाईयों ने कुल 5422.91 करोड़ निवेश किया गया। इन 92 इकाइयों में से 19 इकाइयों ने उद्योग स्थापित किया है, जिसमें प्रदेश के 4586 लोगों को रोजगार मिला। अभी तक 46 एमओयू में क्रियान्वयन शुरू नहीं हुआ है।

मंत्री अकबर बोले हम-बाध्य नहीं कर सकते

धरमलाल कौशिक ने कहा- लक्ष्य का 3 प्रतिशत निवेश हुआ और 6 प्रतिशत रोजगार मिला। उद्योग मंत्री कवासी लखमा की गैरमौजूदगी में मंत्री मोहम्मद अकबर ने कहा- निवेश के लिए 5 साल का समय रहता है। निवेश और रोजगार का प्रतिशत निकालकर तुलना नहीं हो सकती। कौशिक बोले- खोदा पहाड़ और निकली चुहिया वाली स्थिति है। मोहम्मद अकबर ने कहा-आपके समय ग्लोबल इन्वेस्टर्स मीट हुआ उसका क्या हुआ? 5 हजार का निवेश एक अमेरिकी कंपनी करने वाली थी, उसका क्या? 5 हजार करोड़ का बताकर लेकिन कोई कंपनी 5 रुपये का उद्योग भी नहीं लगाया तो उसका कुछ नहीं कर सकते, बाध्यकारी नहीं है।

नेता प्रतिपक्ष सहित अनेक मंत्रियों, विधायकों के क्षेत्र के लिए की अनेक घोषणाएं

- मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज विधानसभा में छत्तीसगढ़ विनियोग विधेयक-2023 पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत, नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल, अनेक मंत्रीगणों, संसदीय सचिव और विधायकों की मांग पर उनके विधानसभा क्षेत्र के लिए अनेक घोषणाएं की। मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाएं इस प्रकार हैं-
- विधानसभा अध्यक्ष डॉ. चरणदास महंत के विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि-नया बाराद्वार, जिला सक्ती में नवीन आत्मानंद विद्यालय की स्थापना, जिला सक्ती में नवीन महाविद्यालय की स्थापना (तृतीय अनुपूरक में शामिल है), सारागांव जिला जांजगीर-चापा के प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन करने की घोषणा की।
- इसी तरह स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव के विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि-करजी, जिला सरगुजा उप स्वास्थ्य केन्द्र का प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र में उन्नयन किया जाना, ग्राम तराजू विकासखण्ड लखनपुर में माध्यमिक शाला खोले जाने की घोषणा करता हूँ।
- कृषि मंत्री रवीन्द्र चौबे के विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि-विकासखंड साजा जिला बेमेतरा के ग्राम पंचायत मोहगांव में आत्मानंद विद्यालय की स्थापना, पूर्व माध्यमिक शाला पेंड्री का हाई स्कूल में उन्नयन विकासखंड धमधा जिला दुर्ग, हाईस्कूल भुस्ताला विकासखंड साजा जिला बेमेतरा का हायर सेकेन्डरी में उन्नयन किया जाएगा।
- गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू के विधानसभा क्षेत्र के लिए मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि- ग्राम अंडा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र खोला जाना, शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला कोलिहापुरी, गनियारी एवं मोहलई, विकासखंड एवं जिला दुर्ग को हाई स्कूल में उन्नयन किया जाएगा।

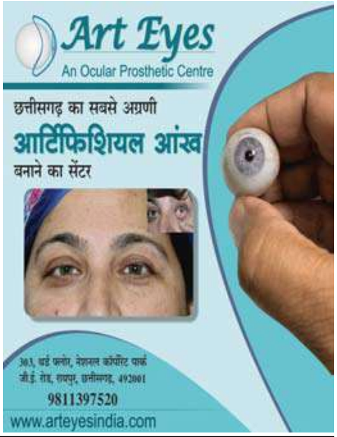

संक्षिप्त खबरें

जनप्रतिनिधियों ने देखी विधानसभा की कार्यप्रणाली, समझा कामकाज

कुम्हारी/नवप्रदेश। मंगलवार को पाटन

विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत नगरपालिका कुम्हारी अध्यक्ष , पार्षदों, विधायक प्रतिनिधि, एल्डरमैन एवं जनप्रतिनिधिगण तथा कार्यकर्ता विधानसभा भ्रमण के लिए रायपुर पहुंचे। इस दौरान उन्होंने विधानसभा में देखा कि विधानसभा का संचालन कैसे होता है, कार्यप्रणाली और कामकाज के तरीकों को समझा। इस दौरान मुख्यमंत्री के ओएसडी मनीष बंछोर ने जनप्रतिनिधियों को विधानसभा की गतिविधियों के बारे में जानकारी देते हुए विधानसभा अध्यक्ष, मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की बैठक व्यवस्था के बारे में बताया, उन्होंने जनप्रतिनिधियों से कहा कि हमारा छत्तीसगढ़ प्रगति और उन्नति के मार्ग पर आगे बढ़े इसके लिए यहां बहुत से लोग दिन-रात काम करते हैं। जनता के हित, विकास और सुविधाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं यहीं बनते हैं लेकिन वह कार्य तभी सफल हो पाता है जब गांव शहर तक के लोगों को आप सभी अध्यक्ष व पार्षदों द्वारा इसका लाभ प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचाएंगे।

इस दौरान पालिकाध्यक्ष राजेश्वर सोनकर, प्रमोद सिंह राजपूत, शीश बंसल, पवन अग्रवाल, मनहरण यादव, थनेश पटेल, ओमनारायण वर्मा, नीतू रावते, लता खैरवार, कुमारी निषाद, शांति टण्डन, युजेन्द्र साहू, महेश सोनकर, सुधाकर त्रिपाठी, फुसनु कुर्रे, रोहित कुर्रे, देशलहरे, छोटू अग्रवाल, रमाशंकर शुक्ला, तामेश्वर साहू, राहुल साहू, विष्णु देवांगन, उत्तम पटेला, जितेंद्र जोशी, गोल्डी सुल्तान, सीता साहू, रीना साहू, युवराज साहू, तिजु निषाद, धनेश्वर खैरवार, अवध बिहारी, भूपेंद्र सिंह राजपूत, देवानन्द साहू, रवि साहू सूरज कुर्रे,घनेन्द्र ठाकुर, योगेश ठाकुर, राजा सोनकर, सहित बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे।

आंदोलन के महान क्रांतिकारियों पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि

दुर्ग/नवप्रदेश। युवा संगठन ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक यूथ ऑर्गेनाइजेशन (ए आई डी वाई ओ) दुर्ग के द्वारा आजादी आंदोलन के महान क्रांतिकारी शहीदे आजम भगत सिंह, शहीद राजगुरू, शहीद सुखदेव 23 मार्च शहादत दिवस के अवसर पर दोपहर 12 शहीद चौक दुर्ग में माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि दी गई । ज्ञात हो कि शहीद चौक दुर्ग में शहीदे आजम भगत सिंह, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद उधम सिंह की मूर्तियां स्थापित थी जिसे 2020 में रिनोवेशन करने के नाम पर जिला प्रशासन द्वारा हटा दिया गया है जिसे पुनः स्थापित करने के लिए युवा संगठन AIDYO, छात्र संगठन AIDSO के द्वारा लगातार आंदोलन जारी है। प्रत्येक जन्मदिवस और शहादत दिवस पर संगठन के द्वारा एवं आम जनता के द्वारा इन क्रांतिकारियों को बड़े ही श्रद्धा के साथ याद किया जाता है। आज 23 मार्च को भी संगठन के द्वारा श्रद्धांजलि अर्पित की गई। साथ ही साथ जिला प्रशासन से मांग किया गया कि इन चारों क्रांतिकारियों की मूर्ति का पुनः स्थापित किया जाए।

निधन

प्रवीण कुमार लोढा

भिलाई। प्रवीण कुमार लोढा उम्र 66 वर्ष पिता श्री प्रेम राज जी लोढा 23/3/23 को दोपहर 1:40 बजे हो गया अंतिम यात्रा में जैन समाज की लोग बड़ी संख्या में उपस्थित थे हरना बांधा मुक्ति धाम दुर्ग में अंतिम संस्कार किया है।

निगम ने छेड़ा अभियान : प्रतिदिन डेंगू, मलेरिया नियंत्रण पर फोकस

- **आयुक्त ने किया मौके पर निरीक्षण कर लोगों से फीडबैक लेने के दिये निर्देश**

दुर्ग/ नवप्रदेश। नगर पालिक निगम सीमा क्षेत्र अंतर्गत मच्छरों के उन्मूलन तथा लार्वा की खात्मा के लिए नगर निगम ने बड़ा अभियान तेज कर दिया है। वार्डो में वार्ड वार सफाई अभियान के दौरान 9 दिनों में 1680 घरों का सर्वे किया जा चुका है। ओर घरों में क्लोरीन टेबलेट वितरण किया जा चुका है।आज निगम स्वास्थ्य विभाग टीम द्वारा वार्ड क्रमांक 12 मोहन नगर, पश्चिम एवं वार्ड क्रमांक 42 सुभाष नगर कसारीडीह में विशेष स्वच्छता अभियान चलाकर टेमीफास का छिड़काव, जन जागरूकता के लिए पाम्पलेट का वितरण, कूलर, गमला, टायर एवं अन्य पात्रों की जांच, घरों के आसपास के क्षेत्र की नाली की सफाई, ब्लीचिंग एवं चूने का छिड़काव, जल जमाव वाले स्थानों में मलेरिया आयल का छिड़काव, मच्छरों का खात्मा करने के लिए मेलाथियान का छिड़काव, मच्छर के लार्वा को समाप्त करने के लिए टेमीफास का उपयोग, डेंगू, पीलिया एवं मलेरिया से पीडित की जानकारी आदि गतिविधियों को सर्वे के दौरान विशेष अभियान चलाकर लोगो को जागरूक भी किया जा रहा है। रोजाना शाम निगम अमला द्वारा गली-मोहल्लों में हैण्ड मशीन व व्हीकल माउंटेन से फॉगिंग कार्य किया जा रहा हैं, जमाव वाले स्थानों की सफाई कराकर चूना व ब्लीचिंग पाउडर का छिड़काव कर रहे है, तथा अधिक पानी जमा वाले स्थानों पर मलेरिया ऑयल व मोबी ऑयल का उपयोग कर रहे हैं।

एडल्ट मच्छरों को समाप्त करने के लिए मैलाथियान का छिड़काव किया जा रहा है साथ ही निगम की टीम घरों में जाकर जागरूकता हेतु पाम्पलेटस वितरण किया जा रहा है। महापौर धीरज बाकलीवाल, कलेक्टर पुष्पेंद्र मीणा एवं निगम आयुक्त लोकेश चन्द्राकर ने डेंगू, मलेरिया, पीलिया जैसे बीमारियों से बचाव के लिए निगम की टीम को ध्यान से कार्य करने निर्देश दिए है।

जेके फाउंडेशन ने किया 100 महिलाओं को वुमन एचीवर अवार्ड से सम्मानित

- **ग्रामीण क्षेत्रों में 12 रीपा तैयार, शहरी क्षेत्रों में भी अर्बन रीपा के लिए भूमि की जा रही चिन्हांकित**

भिलाई/ नवप्रदेश। जेके फाउंडेशन द्वारा होटल द मार्क रेसोर्ट क्लब रिसाली में पूरे छत्तीसगढ़ से आई महिलाओं का सम्मान किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव जी रहे। विशेष अतिथि डॉ सपना कुकरेजा सिंधी समाज राष्ट्रीय अध्यक्ष, डॉ दीपा मेघानी जी , तरुण शर्मा समाज सेवक, मेघा तिवारी वरिष्ठ पत्रकार,भिलाई प्रेस क्लब की अध्यक्ष भावना पाण्डे जी , दिलीप नाम्प्लीवार वरिष्ठ पत्रकार जी, और सुभाष मालिक जी ,मिसेस पूजा महेश मिसेस इंडिया फर्स्ट रनअप,मिसेस ललिता चोपड़ा मिसेस आईवा सेंकड रनरअप, मिसेस नीतू मण्डल मिसेस सेन्ट्रल इंडिया फ़स्ट रनर उप, मिसेस प्रतिमा सिंग मिसेस इंडिया इंटरनेशनल, मिसेस सुषमा मिंज मिसेस इंडिया फर्स्ट रनरअप, मिसेस मनमीत कौर मिसेस वर्ल्ड, मिसेस कल्पना स्वामी असिस्टेंट डायरेक्टर शिक्षा विभाग उपस्थित थी। सभी अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलित कर माँ दुर्गा की अर्चना की गयी। सभी अतिथियों का स्वागत पुष्पगुच्छ से अध्यक्ष जया रेड्डी द्वारा किया गया। मुख्य अतिथि देवेंद्र यादव जी ने कहा कि मेरी नजर में महिलाएं पुरुषों से हर क्षेत्र में अवल होती हैं।

उल्लेखनीय कार्य करने वाली महिलाओं को किया सम्मानित

भिलाई/ नवप्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के उपलक्ष्य में सभी वर्ग की महिलाओं को सम्मान किया गया, जिसमें प्रशासनिक वर्ग एवं अन्य सभी वर्गों की महिलाओं को आमंत्रित किया गया, जिसमें साधना प्लस न्यूज़ द्वारा उन सभी महिलाओं को सम्मान किया गया जो उल्लेखनीय कार्यों के लिए सराहनीय थे, जिसमें उपस्थित विशिष्ट अतिथि में भावना पांडेय की अध्यक्ष न्यू प्रेस क्लब भिलाई एवं ब्यूरो चीफ दैनिक अंग्रेज़ी अखबार सेंट्रल क्रोनिकल , डॉ मानसी गुलाटी गुलाटी नर्सिंगहोम दुर्ग , श्रीमती सीमा श्रीवास्तव सहायक अधीक्षक पोस्ट ऑफिस सिविक सेंटर ब्रांच , हंसा शुक्ला प्रिंसिपल शंकराचार्या कॉलेज हडको , डीएसपी शिल्पा साहू , ममता शर्मा टी आई नेवाई थाना, दीप्ति कौर खुराना जो की डायरेक्टर खालसा कॉलेज दुर्ग ,पायल जैन समाज सेवी दुर्ग इंन सभी का सम्मान हुआ एवं अन्य सभी महिलायें जो अपने जीवन में उल्लेखनीय कार्य किए हर वर्ग में उनको सम्मान किया गया , वह छात्रा जो अपने पढ़ाई के साथ ज़ोमोटो में फूड डिलीवरी का कार्य करते है, एवं स्व सहायता समूह , दिव्यांग ई रिक्शा चालक , नेत्रहिन सुरभि जो मुख्य आकर्षण रही जिसने देश रंगीला गाना में डांस भी किया।

हुडको पहुंचे विधायक ने किया विकास कार्यो का निरीक्षण

- **1 करोड़ 48 लाख की लागत से हुडको में बन रहा खेल मैदान**

भिलाई/ नवप्रदेश। नगर निगम भिलाई के हुडकों में एक बड़ा सर्व सुविधा युक्त खेल मैदान बनाया जाएगा। लंबे समय से खाली पड़े मैदान में खिलाड़ियों के लिए बड़ी खेल सुविधा की व्यवस्था की जा रही। तेजी से चल रहे निर्माण कार्य का आज सुबह विधायक श्री यादव

> हुडकोवासी की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। यहां खाली मैदान था,उसे भव्य सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम बनाया जा रहा है। खेल मैदान की मांग क्षेत्र के युवाओं ने की थी। जिसके लिए बड़ी पहल की जा रही है।
>
> **देवेंद्र यादव, विधायक**

क्षेत्र के पार्षद सीजू एंथोनी, ब्लॉक अध्यक्ष धनेश्वरी साहू, कुंती साहू, आर बे के राव एवम वार्डवासी उपस्थित थे।

निरीक्षण करने पहुंचे। निरक्षण के दौरान उन्होंने विकास कार्यो का बारीकी से देखा, एक-एक जायजा लिया। इस दौरान निगम के इंजीनियर और सम्बंधित ठेकेदार भी मौजूद रहे। उन्हें विधायक श्री यादव ने सख्त निर्देश दिया कि वे निर्माण कार्य की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान दे। किसी भी तरह की लापरवाही ,गड़बड़ी बर्दाश्त नहीं की जाएगी, टेंडर के शर्तो के तहत काम पूरा किया। लेटलतीफी भी नहीं होनी चाहिए। निरीक्षण के दौरान हुडको

हुडकों में भव्य सर्व सुविधा युक्त स्टेडियम का निर्माण किया जाएगा। करीब 1 करोड़ 48 लाख की लागत से इस स्टेडियम को बनाया जा रहा है। । हुडकों में एक बड़ा मैदान जो सालों से उपेक्षित पड़ा है। इस मैदान का उपयोग करने और क्षेत्र के भावी खिलाड़ियों को बेहतर खेल सुविधा देने विधायक देवेंद्र यादव ने पहल की है। क्षेत्र के युवाओं ने मांग की थी कि उनके खेल के लिए क्षेत्र में खाली मैदान तो है।

एक मुट्ठी दान-श्रीराम के नाम अभियान में भिलाईवासियों की निभाई सहभागिता

भिलाई/ नवप्रदेश। श्रीरामनवमी पर्व के विशाल महाप्रसाद में जन भागीदारी के लिए चलाये जा रहे एक मुट्ठी दान- श्रीराम के नाम अभियान में भिलाईवासी बढ़-चढ़कर अपनी सहभागिता दे रहे हैं। अभियान के तहत समिति के संरक्षक, प्रदेश के पूर्व विधानसभा अध्यक्ष प्रेमप्रकाश पाण्डेय स्वयं लोगों के बीच पहुंचकर अन्न संग्रहण कर रहे हैं एवं उन्हें श्रीरामनवमी के भव्य आयोजन में शामिल होने आमंत्रित कर रहे हैं। वहीं विभिन्न प्रखण्डों में में समिति पदाधिकारियों एवं सदस्यों द्वारा निरंतर यह अभियान चलाकर अन्न संग्रहण किया जा रहा है। समिति के संरक्षक श्री पाण्डेय द्वारा आज सुपेला प्रखण्ड, वैशालीनगर प्रखण्ड एवं पूर्व प्रखण्ड में अन्न संग्रहण किया गया। इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे बच्चों ने इस अभियान में अपनी सहभागिता देते हुए जय श्रीराम के नारे के साथ अन्न दान किया। श्री पाण्डेय ने इस दौरान कहा कि श्रीरामनवमी का पर्व हर हिन्दू का सबसे बड़ा पर्व है, जब हमारे अराध्य प्रभु श्रीराम का जन्मोत्सव हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। इस्पात नगरी में भी यह पर्व निरंतर 38 वर्षो से बहुत ही भव्य रूप से मनाया जाता है। इस वर्ष जन-जन की सहभागिता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से भिलाईवाासियों से एक मुट्ठी अन्न दान स्वरूप लिया जा रहा है जिससे श्रीरामनवमी पर महाप्रसाद बनाया जायेगा।

भाजपा जिला स्तरीय बूथ सशक्तिकरण अभियान प्रगति की हुई समीक्षा बैठक

दुर्ग/ नवप्रदेश। भारतीय जनता पार्टी बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा को लेकर जिला भाजपा कार्यालय में दुर्ग संभाग प्रभारी भूपेंद्र सवन्नी, दुर्ग जिला प्रभारी राजीव अग्रवाल की प्रमुख उपस्थिति एवं जिला भाजपा जितेंद्र वर्मा की अध्यक्षता में बैठक संपन्न हुई। बैठक में मंचासीनों दुर्ग शहर विधानसभा प्रभारी प्रीतम साहू ,दुर्ग ग्रामीण विधानसभा प्रभारी गौरीशंकर श्रीवास, वरिष्ठ भाजपा नेता एवं बूथ सशक्तिकरण अभियान के जिला संयोजक प्रीतपाल बेलचंदन, सुरेंद्र कौशिक शामिल रहे। बैठक में वरिष्ठ नेताओं के द्वारा बूथ सशक्तिकरण अभियान की प्रगति की समीक्षा की गई साथ ही साथ पूर्व में संपन्न हो चुके अन्य कार्यक्रमों की भी जानकारी प्राप्त की गई।

पुलिस प्रताड़ना से परेशान होकर पदयात्रा में निकले आरक्षक संजीव लिए गए हिरासत में

दुर्ग/ नवप्रदेश। पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों की प्रताड़ना से परेशान पुलिस मुख्यालय के सीआईडी शाखा में आरक्षक संजीव मिश्रा ने गुरुवार को त्यागपत्र देने पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर तक के लिए पदयात्रा शुरु की। पदयात्रा के दौरान वे अपने साथ पुलिस विभाग द्वारा दिए गए कीट को रखे हुए थे। आरक्षक संजीव मिश्रा ने पटेल चौक से पदयात्रा की शुरुवात करने की घोषणा की थी।

जिससे पुलिस बल सुबह से पटेल चौक में लगी रही। लेकिन आरक्षक संजीव मिश्रा पटेल चौक नहीं पहुंचा और वह पुलिस बल को चकमा देते हुए रिसाली से पदयात्रा करते हुए सेंट्रल ऐवेन्यू मार्ग पहुंच गया। जहां पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने उसे हिरासत में ले लिया और समझाईश देने का प्रयास किया। बताया गया है संजीव मिश्रा को बीजापुर पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। आरक्षक संजीव मिश्रा के त्यागपत्र देने पुलिस मुख्यालय रायपुर तक पदयात्रा करने को लेकर गुरुवार को जिला पुलिस दिनभर ऐलर्ट रही।13 साल से विभाग में कार्यरत् हूं , परंतु 13 साल से पुलिस विभाग के अधिकारियों की यातनाओं व प्रताड़नाओं के कारण आज विभाग से पृथक होना चाहता हूँ। एक उम्मीद थी कि 8 दिसंबर 2021 को मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन द्वारा बनाई गई कमेटी, जिसमें ए.डी.जी. हिमांशु गुप्ता को अध्यक्ष बनाया गया था। उसके आधार पर 2023-24 के अंतिम बजट में पुलिस विभाग के तृतीय श्रेणी के कर्मचारियों का भला होगा, पर बजट में तृतीय श्रेणी पुलिस कर्मचारियों को कुछ भी नहीं दिया गया। पुलिस विभाग के अधिकारियों द्वारा जवानों का लगातार शोषण किया जा रहा है।

भगवान झूलेलाल के दर्शन के लिए मंदिर में लगा श्रद्धालुओं का तांता

दुर्ग/नवप्रदेश। वरुणदेव भगवान झूलेलाल जी की जयंती गुरुवार को सिंधी समाज द्वारा पूरे श्रद्धा व उत्साह के साथ मनाई गई। सिंधी कालोनी स्थित झूलेलाल मंदिर में सुबह से ही भगवान झूलेलाल जी और बाराणा साहेब के दर्शन के लिए सिंधी समाज के अलावा अन्य समाज के लोगों का तांता लगा रहा है। लोगों ने यहां भगवान झूलेलाल के भजनों पर नाच-गाकर अपनी आस्था प्रगट की। विधायक अरुण वोरा, महापौर धीरज बाकलीवाल,पूर्व महापौर आरएन वर्मा, सभापति राजेश यादव, पार्षद नरेश तेजवानी एवं अन्य जनप्रतिनिधि भी दर्शन के लिए झूलेलाल मंदिर पहुंचे। उन्होने दर्शनकर भगवान झूलेलाल से शहर की सुख समृद्धि एवं खुशियाली के लिए कामना की।

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकद्मा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. ... मुद्दालेह
बनाम- मनोज कोसरिया S/o स्व. टीकाराम उम्र 25 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकद्मा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- अमेरिकन बाई जौजे W/o स्व. टीकाराम सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ... मुद्दई
भंगोली वगै. ... मुद्दालेह
बनाम- दुष्यंत S/o भंगोली सा. राखी तह. पाटन जि. दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- अमेरिकन बाई जौजे S/o स्व. टीकाराम सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. ... मुद्दालेह
बनाम- जीवन कोसरिया S/o स्व. भंगोली
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- स्नेहलता W/o नागेन्द्र मोहन सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- नन्हेश्याम कोसरिया S/o स्व. टीकाराम 28 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- नंद कुमार कोसरिया S/o स्व. टीकाराम 33 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- कमल कोसरिया S/o स्व. टीकाराम उम्र 25 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- मनोज कोसरिया S/o स्व. टीकाराम उम्र 25 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- आरती S/o अनिल कुमार
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- श्रीमती ज्योति वर्मा W/o प्रदीप वर्मा सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स
(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)
दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. ... मुद्दालेह
बनाम- भावसिंह कोसरिया S/o स्व. भंगोली
क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।
तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।
आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।
(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

■ न्यूज गैलरी

नगर राजीव युवा मितान क्लब की हुई बैठक

साजा/नवप्रदेश। नगर पंचयात साजा के साहू भवन में नगर राजीव युवा मितान साजा की बैठक सम्पन्न हुई। जिसमें मुख्यरूप से अविनाश चौबे, ब्लाक अध्यक्ष संतोष वर्मा, विधायक प्रतिनिधि मनोज जायसवाल की उपस्थित रहें। बैठक में नगर राजीव मितान क्लब की दोनों टीम व नगर के युवा बड़ी संख्या में उपस्थित थे। जिसने अविनाश चौबे ने बात की व राजीव मितान क्लब की पूर्ण जानकारी दी। मितान क्लब के युवा साथियों से चर्चा कर युवाओं को मतदाता परिचय पत्र में जोड़ने, महिला सशक्तिकरण, भूमिहीन मजदूर न्याय योजना से युवाओं को जोड़ने जैसे कार्यक्रम चलाने को कहा, साथ ही सरकार की योजनाओं को जन जन तक लेकर जाने को कहा। उक्त कार्यक्रम में नगर पंचयात के पार्षदगण रवि सोनी, राजेश ठाकुर, पुष्पा सिन्हा, अवधेश गोयल, नरेन्द्र यादव, बाजीगर यादव, दिनेश साहू, एल्डरमैन बंटी जैन, रोहित वर्मा, संता निर्मलकर, तोप सिंह राजपूत, राजा चौबे, ईश्वर वर्मा, बिजेंद्र वर्मा, राजू चौहान, दिनेश वर्मा, हुकुम वर्मा, विप्लव गौरहा, अंजोर यदु, शुशील निर्मलकर, हरीश वर्मा, टूकेश देशमुख, आशीष शर्मा, नविन वर्मा, योगेश साहू, यशवंत सोनी, भूपेश सिन्हा, थानेश्वर साहू, भुजल मिश्रा, मोंटी निर्मलकर, सागर साहू, प्रीतम, आकाश, राजा, उपेंद्र, कुलदीप, गजानन, कांहा, दुर्गेश, वर्षा यादव, राजेंद्र, आशीष, धीरज, राजू, दीपक, ॠतिक, विजय, रितेश, राम, शोमेश, बीरेंद्र, लक्की सहित अन्य नगर के राजीव मितान के सदस्यगण मौजूद थे।

क्रशर प्लांटों को लेकर अवैध का आरोप शिकायत पत्र दाखिल

■ ग्रामसभा सहमति के बिना 10-12 साल से संचालित हैं प्लांट

महासमुंद/बसना/नवप्रदेश। शिकायत आरोप के अनुसार महासमुंद जिले के बसना ब्लॉक अंतर्गत पंचायत सागरपाली बनडबरी व कासीपाली में चल रहे क्रेशर प्लांट के अवैध संचालित होने के मामला अनुविभागीय कार्यालय में आवेदन पत्र के रूप में सामने आया है। मिली जानकारी के अनुसार बसना ब्लाक में क्रेशर प्लांट एक दशक संचालित ग्राम पंचायत द्वारा भी आपत्ति दर्ज किया गया था बताया गया कि इन ग्राम पंचायत में संचालित क्रेशर प्लांटों को लगाने के लिए जिन दस्तावेजों विभाग के सामने प्रस्तुत कर अनुमति ली जाती है वो कार्यवाही नहीं की गई बिना अनुमति के क्रेशर प्लांटों को संचालित किया जा रहा है पंचायत के ग्रामीणों ने बताया कि लगभग दस ग्यारह सालों से क्रेशर प्लांट संचालित है अवैध के आरोप अगर सही पाये जाते हैं तो संबंधित विभाग इतने सालों से इस प्रकार की खनिज की लुट का जिला खनिज शाखा विभाग का अनदेखी विभाग की कार्य प्रणाली पर सवालिया निशान लगता दिख रहा है इसके साथ ही स्थानीय राजस्व विभाग की मौन सहमति भ्रष्टाचार होने की ओर अंकित कर रहा है

शिकायत आवेदन तथा मौके पर मिली जानकारी अनुसार क्रेशर प्लांटों लगाने व संचालित करने नियम अनुसार ग्राम पंचायत की अनुमति लेने की प्रक्रिया पूर्ण नहीं की गई पंचायत ने बताया कि अनुमति लिये बिना ही क्रेशर प्लांट संचालित किया जा रहा है जिसके चलते प्रकृति का स्वरूप बदलने के साथ प्रदुषण की मार ग्राम वासी जुझ रहे हैं आवेदक द्वारा अनुविभागीय अधिकारी (रा) सरायपाली को पत्र लिखा कर संचालित क्रेशर प्लांट की जांच करने की मांग की गई है

रोजगार सहायक पर वसूली का आरोप

हितग्राहियों ने लगाया शपथ पत्र के साथ पैसा वसुली का आरोप

हितग्राहियों में जगबंधु बारिक, शिवलाल बारल , इंद्रजीत प्रधान, धुवल प्रधान, सुभाष खडिया, नेतु पिता अगनु, फुलूराम पटेल व अन्य ने शपथ पत्र के साथ रोजगार सहायक भागीरथी निषाद पर पैसे की मांग की गई है एवं ली गई है7 उनके द्वारा शपथ पत्र दी गई है जानकारी के अनुसार विभिन्न कार्यो के लिए पैसे की वसुली की गई जैसे आरोप शपथ पत्र के साथ मुख्य कार्य पालन अधिकारी महासमुंद को दिया गया है।

पिथौरा/नवप्रदेश। जनपद पंचायत व विकास खण्ड पिथौरा के ग्राम पंचायत गिरना में पदस्त वर्तमान रोजगार सहायक भागीरथी निषाद के कार्य शैली और पैसा उगाही का लिखित आरोप आवेदन मुख्य कार्य पालन अधिकारी जिला महासमुंद कार्यालय में लगाया है। आवेदन पत्र में सरपंच पंच व हितग्राही ग्रामीणों के द्वारा लगाये गये आरोप में गंभीर भ्रष्टाचार उजागर कर रहा है लिखित आरोप में बताया कि ग्राम पंचायत के कार्यों में मनमानी करते हुए लापरवाहीपूर्वक कार्य करने तथा रोजगार गांरटी के कार्य में भारी अनियमितता बरती जा रही है एवं शासकीय कार्यों में राशि की मांग जाती है। प्रधानमंत्री आवास दिलाये जाने के नाम पर हितग्राहियों से राशि की मांग की जाती है, साथ बताया गया कि जिसका साक्ष्य भी मौजूद है। इसके अलावा

रोजगार सहायक द्वारा अन्य शासकीय कार्यों में भी राशि की मांग की जाती है। शासकीय कार्य जिसमें स्वयं का लाभ पाने तथा फर्जी आहरण करने में सुविधा हो उन्ही कार्यों में रूचि दिखाई जाती है एवं अन्य शासकीय कार्यों में किसी प्रकार की रूचि नहीं ली जाती है जिसमें स्वयं का लाभ न हो। शासकीय कार्य जैसे मांग पत्र भरना, जॉब कार्ड भरना एवं खाली मस्टरोल में बिना जैसी अनियमितता किया गया है।

कार्यवाही में देरी, भ्रष्टाचार को बढ़ावा

सरपंच ,उप सरपंच व हितग्राही ग्रामीण आवेदकों ने रोजगार सहायक के अनियमितता व पैसा उगाहीआरोप की शिकायत दिनांक 10/03/2023 को जिला मुख्य कार्य पालन अधिकारी महासमुंद में की थी जल्द जांच की कार्यवाही से भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सकता है किंतु कार्यवाही में देरी से अधिकारी में भ्रष्टाचार कर बचने की मानसिकता बनाने लगेगा।ग्राम गिरना पंचायत के आवेदकों गणों ने आवेदन पत्र दाखिल करते समय सरपंच, उप सरपंच, के साथ शिवलाल, रविशंकर, उदास,बुधवरा, दशरथ, धनीराम, सुरेंद्री,नागबती,जानकी, नीरा बाई, गिरधारी, तुलाराम,पंच महेत्तर, कनक, पंच बबीता, पंच रंजना व अन्य मौजूद रहे।

कुंदन कुमार ने नई दिल्ली में किया तकनीकी विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व

बेमेतरा/नवप्रदेश। युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय भारत सरकार द्वारा अशिक्षित व बेरोजगार युवाओं पर सर्वेक्षण हेतु पुरे देश भर के श्रेष्ठ/चयनित 300 राष्ट्रीय सेवा योजना कार्यक्रम अधिकारीयों का प्रशिक्षण नई दिल्ली के अन्तर्राष्ट्रीय डॉ. अंबेडकर केंद्र में आयोजित किया गया। जिसमें विभिन राज्य के श्रेष्ठ 10 कार्यक्रम अधिकारीयों का चयन कर दिल्ली में 2 दिवसीय प्रशिक्षण बीते दिनों आयोजित किया गया। इस प्रशिक्षण में कार्यक्रम समन्वयक डीएस रघुवंशी के निर्देशन में कुंदन कुमार कार्यक्रम अधिकारी राष्ट्रीय सेवा योजना इकाई शासकीय पोलीटेक्निक बेरला को स्वामी विवेकानंद तकनीकी विश्विद्यालय का प्रतिनिधित्व करने हेतु श्रेष्ठ कार्यक्रम अधिकारी के रूप में चयनित कर दिल्ली भेजा गया।

चैत्र नवरात्रि पर ज्योति कलश स्थापना

राजनांदगांव/नवप्रदेश। खुज्जी विधानसभा क्षेत्र के ग्राम झालाटोला समस्त ग्रामवासियों के द्वारा चैत्र नवरात्रि के पावन अवसर पर ज्योति कलश स्थापना एवं ग्राम के बाल गोपाल के लिए भव्य रिकार्डिंग डाँस का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में जगजीत सिंह भाटिया (लक्की) पूर्व प्रदेश मंत्री भाजयुमो, अध्यक्षता हेतराम साहू, विशेष अतिथि श्रीमति लताबाई उपसरपंच, श्रीमति टेमिन बाई पंच उपस्थित थे। समस्त ग्रामवासियों के साथ जगजीत सिंह भाटिया ने शीतला मातारानी के दरबार मे ज्योति कलश प्रज्वलित कर मातारानी का आशिर्वाद लिया एवं क्षेत्रवासियों के लिए मंगलकामनाएं की। कार्यक्रम में पहुंचे श्री भाटिया ने कहा आज चैत्र नवरात्रि का महापर्व समूचे देश में उत्साह और उमंग के साथ शक्ति व भक्ति का यह महापर्व मनाया जा रहा है। झालाटोला के ग्रामवासियों ने चैत्र नवरात्रि के अवसर पर बाल गोपाल के प्रतिभा को निखारने के लिए रिकार्डिंग डांस का भी आयोजन किया। आज आप हम सभी चैत्र नवरात्रि के महापर्व के साथ हिन्दू नववर्ष का हर्ष मना रहे है। मैं मातारानी से यही कामना करता हूं झालाटोला के समस्त ग्रामवासियों के ऊपर सदैव अपना आशीर्वाद कृपा दृष्टि बनाये रखे। इस ग्राम के निवासी नितन्य उन्नति और प्रगति के मार्ग पर सदैव चले यही मेरी शुभकामनाएं है। आप सभी ने अपने ग्राम में स्थान दिया इसके लिए आप सभी का हृदय से धन्यवाद।

चैत्र नवरात्रि में किया मनोकामना ज्योति कलश स्थापना

भटगाव/नवप्रदेश। 22 मार्च 2023 : बिलाईगढ़ के प्रसिद्ध मां समलाई माता मंदिर में चैत्र नवरात्रि के प्रारंभ होते ही विधि विधान से पूजा अर्चना कर बिलाईगढ़ के पूर्व थाना प्रभारी एवं प्रदेश कांग्रेस के महामंत्री सरजू प्रसाद घृतलहरे ने ज्योति कलश की स्थापना की । बता दें कि इस प्रसिद्ध मंदिर का निर्माण सबसे पहले सन 1987 में आरक्षक रहते हुए सरजू प्रसाद के द्वारा किया गया था जिसके बाद से ही आज तक नवरात्रि के अवसर पर मां समलाई की विधि विधान से सिंगार एवं पूजा अर्चना सरजू प्रसाद घृतलहरे के द्वारा ही किया जाता है । इस अवसर पर मंदिर के पुजारी विष्णु दास वैष्णव समेत अन्य मंदिर के सेवक गण उपस्थित रहे । सरजू प्रसाद घृतलहरे ने बताया कि सन 1987 में उनका स्थानांतरण बिलाईगढ़ थाने में हुआ था तब वह नाला में स्नान करने जा रहे थे इसी दौरान मंदिर के पास पहुंचे थे कि एक सर्प ने उसे काट लिया जिसके बाद वह बेहोश हो गए ग्रामीणों ने मंदिर में उन्हें बैठाया और झाड़ फूंक्र कर उन्हें होश में लाया गया सरजू प्रसाद घृतलहरें ने आगे बताया कि उनके द्वारा मंदिर परिसर में आकर माता की पूजा अर्चना की गई जिसके बाद वह पूर्ण रूप से ठीक हो गए और घर चले गए वहीं रात में माता ने उन्हें सपने में आकर मंदिर बनवाने के लिए कहा जिसके बाद मंदिर का निर्माण सरजू प्रसाद घृतलहरे के द्वारा किया गया था तब उनके द्वारा सिर्फएक ज्योति यहां इस मंदिर में प्रज्वलित की जा रही थी अब की स्थिति में 11 सौ से अधिक यहां ज्योति कलश स्थापित की जाती है और दूर-दूर से श्रद्धालु यहां पूजा करने आते हैं और अपने कष्टों का निवारण करते हैं ।

प्रथम पृष्ठ का शेष...

राहुल गांधी को सजा...

प्रदेश के अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा- सत्य परेशान हो सकता है मगर पराजित नहीं। हम सत्य और राहुल गांधी के साथ खड़े हैं। साल 2019 की चुनावी सभा में राहुल गांधी ने कहा था कि नीरव मोदी, ललित मोदी ये मोदी सरनेम वाले देश का 15 हजार करोड़ क्यों लेकर भाग रहे हैं, किसके माध्यम से इन्हें से बचाया जा रहा है, गलत कहां बोला। मगर हम कोर्ट के फैसले का सम्मान करते हैं, हम लड़ेंगे और जीतेंगे। वहीं युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा के नेतृत्व में गांधी मैदान महात्मा गांधी की प्रतिमा के पास पहुंचे और मौन विरोध जताया। इनके हाथों में भगत सिंह के साथ राहुल गांधी को दिखाती तस्वीरें थीं, सावरकर के साथ भी राहुल गांधी को दिखाया गया।

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. .... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. ... मुद्दालेह
बनाम- चोवाराम कोसरिया S/O स्व. भंगोली

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 04 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भंगोली वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- राकेश S/O पवन सा. रायपुर, जि. रायपुर (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- आरती S/O अनिल कुमार सा. कोहका तह. व जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा

/ अ -2 2022-23

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका अशोक कुमार फुटाणे आ/ पति पांडुरंग फुटाणे निवासी - सेक्टर 03 उर्जाग्रम चन्द्रपुर महाराष्ट्र के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम - उमरपोटी प.ह.न 42 तहसील व जिला दुर्ग के स्थित भूमि खसरा नंबर 752 /19 रकबा 0.0184 हें 1975 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भ.रा.सं. की धारा 59(2) के तहत् पुनिर्धारण बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में आयोजि भूमि के संबंध में जिस किसी व्यकित अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/03/2023 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग जिला दुर्ग
उद्घोषणा

/ अ -2 2022-23

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक/ आवेदिका गीता परदेशी आ. सुनील परदेशी निवासी -मैत्रीकुंज रिसाली के द्वारा अपने स्वामित्व की भूमि ग्राम -उमरपोटी प.ह.न 42 तहसील व जिला दुर्ग के स्थित भूमि खसरा नंबर 706/11 रकबा 0.009 हें 1012 वर्गफीट (आवासीय) प्रयोजन हेतु डायवर्सन के लिए छ.ग.भ.रा.सं. की धारा 59(2) के तहत् पुनिर्धारण बावत् आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में आयोजि भूमि के संबंध में जिस किसी व्यकित अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा प्रकाशन से 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 15/03/2023 को यह उद्घोषणा मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मद मुद्रा के साथ जारी किया गया है।

सील
अनुविभागीय अधिकारी
दुर्ग जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

मैं श्रीमती मोनिका पति श्री लुकराज चन्द्राकर उम्र 23 वर्ष निवासी म.नं एस /279 , एवं एस/280 वार्ड नंबर 06 प्रेम सागर चौक, बैगापारा ,दुर्ग व जिला दुर्ग (छ.ग.)का निवासी हूँ। मेरा विवाह पुर्व का नाम मोनिका आ. श्री चन्द्रशेखर चन्द्राकर था, जो कि मेरे विवाह पुर्व के समस्त दस्तावेजों में दर्ज है तथा मेरा विवाह दिनांक 14/12/2022 को श्री लुकराज चन्द्राकर के साथ हुआ है, तब मेरा नाम श्रीमती मोनिका चन्द्राकर पति श्री लुकराज चन्द्राकर हो गया है, इस कारण मैं अपने समस्त शासकीय/ अर्द्धशासकीय एवं अन्य स्थानों पर मैं अपने विवाह के पश्चात् का पुर्ण एवं वास्तविक नाम श्रीमती मोनिका चन्द्राकर पति श्री लुकराज चन्द्राकर दर्ज कराना चाहती हूँ। जो कि मुझे अब श्रीमती मोनिका चन्द्राकर पति श्री लुकराज के नाम से जाना पहचाना,पुकारा एवं लिखा जावे।

शपथकर्ता

न्यायालय आयुक्त, दुर्ग संभाग, दुर्ग (छ.ग.)
सूचना

मामले का विषय- अपील प्रकरण
मामला का क्र. 150 अ-27 वर्ष 2016-17
पक्षकार - कृष्णा विरूद्ध लक्ष्मीबाई वगै.
1. लक्ष्मी बाई आ. स्व. झाडूराम महार ध.प.स्व. मंगलदास रामटेके
निवासी ग्राम कन्हारपुरी प.ह.नं. 26 वार्ड नं. 28 राजनांदगांव, तहसील व जिला-राजनांदगांव (छ.ग.)
2. शकुनबाई अ. स्व. झाडूराम महार डी.पी.स्व. ईश्वरदास डोंगरे निवासी- राधे कृष्णा स्कूल के पास, विकास नगर रायपुर (छ.ग.)
3. प्रकाश आ. स्व. झाडूराम महार
निवासी - गोलबाजार, राजनांदगांव
तह. व जिला - राजनांदगांव (छ.ग.)

एतद् द्वारा आपको सूचित किया जाता है कि अपीलार्थी कृष्णा आ. स्व. झाडूराम महार निवासी ग्राम कन्हारपुरी प.ह.नं. 26 वार्ड नं. 28 तहसील व जिला - राजनांदगांव (छ.ग.) के द्वारा अधीनस्थ प्रथम अपीलीय न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.), राजनांदगांव के राजस्व प्रकरण क्रमांक 45 अ-27 वर्ष 2015-16 पारित आदेश दिनांक 02.10.2016 के विरूद्ध छ.ग. भू0रा0सं0 1959 की धारा-44 (2) के तहत इस न्यायालय में द्वितीय अपील प्रस्तुत किया गया है ।

उपर्युक्त मामले की सुनवाई तिथि 13.04.2023 दिन गुरूवार को दोपहर 12.00 बजे स्थान हिन्दी भवन, दुर्ग में होगी।

अतः सुनवाई तिथि पर उपस्थित होकर अपना पक्ष प्रस्तुत करें। नियत सुनवाई तिथि में उपस्थित नहीं होने पर एकपक्षीय कार्यवाही की जावेगी।

जारी दिनांक 23.02.2023

सील
आयुक्त
दुर्ग संभाग, दुर्ग

न्यायालय नजूल जांच अधिकारी, दुर्ग (छ.ग.)
ईश्तहार

रा.प्र.क्र./88/ अ-20 (3)/वर्ष 2022-23

आवेदक राम कृष्ण गुप्ता आ. स्व. जागेश्वर प्रसाद गुप्ता पता शनिचरी बाजार आपापुरा वार्ड दुर्ग द्वारा इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया है कि दुर्ग स्थित नजूल भूमि शीट क्र. 29 डी भूखंड कं. 27 क्षेत्रफल 103 वर्गमीटर भूमि धारकगण रामकृष्ण, विनोद कुमार, रामशरण, विनय कुमार, विजय कुमार पिस. जागेश्वर प्रसाद गुप्ता नि. शनिचरी बाजार दुर्ग के नाम पर नजूल अभिलेख में दर्ज है। सहधारकगण विनोद कुमार, रामशरण, विनय कुमार, विजय कुमार द्वारा उक्त भूखण्ड का टु. क्षेत्रफल 82.40 वर्गमीटर भूमि आवेदक के पक्ष मे पंजीकृत हक त्याग पत्र 01.03.2023 को निष्पादित किया है। आवेदक द्वारा उक्त पंजीकृत हक त्याग पत्र के आधार पर प्रश्नाधीन भूखण्ड से हक त्यागकतागण का नाम विलोपित कर हक त्याग प्राप्तकर्ता के नाम नजूल अभिलेख में यथावत रखे जाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया है । जिसका प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है।

अतएव एतद् द्वारा सर्व साधारण एवं आम जनता को सूचित किया जाता है कि उपरोक्त संबंध जिस किसी व्यक्ति/संस्था को दावा या आपत्ति हो, तो प्रकरण की सुनवाई दिनांक 06.04.2023 को या इसके पूर्व इस न्यायालय में स्वतः या किसी व्यक्ति अथवा अधिवक्ता के द्वारा जिस भू-खंड संबंधी जानकारी हो आवश्यक अभिलेख प्रस्तुत किया जावे अथवा करवाया जावे। नियत तिथि पश्चात प्राप्त आक्षेप/आपत्ति पर कोई कार्यवाही नहीं किया जावेगा।

आज दिनांक 16.03.2023 को मेरे स्वयं के हस्ताक्षर एवं न्यायालय की पद मुद्रा से जारी किया गया।

सील
नजूल जांच अधिकारी,
दुर्ग (छ.ग.)

आम सूचना

मैं अपने पक्षकार, श्रीनिवास सत्य प्रसाद राव ग्रांधी आ जी.आदिनारायण, उम्र-58 वर्ष निवासी -मकान नंबर 166/1, पार्क रोड, मैत्री कुंज, रिसाली ,भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग छ.ग.से प्राप्त अधिकार से सर्व साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरे पक्षकार के कुछ दस्तावेजों में संक्षिप्त नाम जी.एस.एस. प्रसाद राव दर्ज है एवं कुछ दस्तावेजों में पुरा नाम श्रीनिवास सत्य प्रसाद राव ग्रांधी दर्ज है जिसे सुधार कर परिवर्तित कर अपने समस्त दस्तावेजों में अपना पूरा नाम श्रीनिवास सत्य प्रसाद राव ग्रांधी आ. जी आदिनारायण को शासकीय राजपत्र में प्रकाशित करना चाहता है।

अतः प्रकाशन उपरांत मेरे पक्षकार के समस्त शासकीय, अर्धशासकीय व अन्य दस्तावजों में श्री निवास सत्य प्रसाद राव ग्रांधी आ. जी आदियानायणा के नाम से लिखा-पढ़ा व जाना पहचाना जावें।

दिनांक -23-03-2023

अधिवक्ता
संजीव मिश्रा
जिला न्यायालय दुर्ग (छ.ग.)
मो.नंबर 84350-51033

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा - सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- ज्योति वर्मा W/O प्रदीप वर्मा सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- दुष्यंत कोसरिया S/O स्व. भंगोली ग्राम राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- नंदकुमार कोसरिया S/O स्व. टीकाराम उम्र 33 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- नन्हेश्याम कोसरिया S/O स्व. टीकाराम उम्र 28 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

मुकदमे के फैसले के बारे में समन्स

(सिविल प्रोसीजर कोड, ऑडर 5, रूल्स 1 और 5)

दीवानी मुकदमा 03 सन 2018
खिलावन वगै.
वि. ..... मुद्दई
भागा प्रसाद वगै. .... मुद्दालेह
बनाम- कमल कोसरिया S/O स्व. टीकाराम उम्र 25 वर्ष सा. राखी तह. पाटन जिला दुर्ग (छ.ग.)

क्योंकि मुद्दई मजकूर ने तुम्हारे खिलाफ घोषणा स्थाई का मुकदमा दायर किया है, तुम्हे इस समंस के जरिए हुक्म होता है कि तुम इस अदालत में तारीख 28 माह 03 सन 2023 ई. को दिन के 11 बजे खुद या ऐसे वकील के मार्फत जिसे कि मुकदमे की बातें ठीक-ठीक तौर से समझा दी हो और जो कि मुकदमे के बारे में कुल जरूरी सवालात का जवाब दे सके (या जिसके साथ कोई ऐसा आदमी मौजूद हो जो कि ऐसे सवालात का जवाब दे सके) मुकदमे का जवाब देने के लिए हाजिर हो जावो और तुम्हारी हाजरी के लिए मुकर्रर किया हुआ दिन मुकदमे के आखरी फैसले के वास्ते रखा जाने की वजह से तुम्हे उस तारीख को ऐसे सभी गवाहों और दस्तावेजों को पेश करने के लिए तैयार रखना होगा कि जिन पर तुम अपने बचाव को पुख्ती के लिए भरोसा रखना चाहते हो।

तुम्हे ताकीद की जाती है कि यदि तुम तारीख मजकूर पर हाजिर न होवोगे तो तुम्हारी गैर हाजरी में मुकदमे की सुनवाई होकर उसका फैसला किया जावेगा।

आज तारीख 17.03.2023 को अदालत की मुहर से जारी किया गया।

(विजेन्द्र सोनवानी)
व्यवहार न्यायाधीश वर्ग -01
पाटन, जिला दुर्ग (छ.ग.)

कार्यालय नगर पालिका परिषद, भाटापारा
जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

Telephone 07726-221068 Email Address-cmobhatapara@rediffmail.com

क्र./1794 / लो.नि.वि / न.पा.प. / 2023-24 — भाटापारा, दिनांक 22/03/2023

।। वार्षिक निविदा सूचना (मैन्यूवल) ।।

नगर पालिका परिषद भाटापारा, जिला- बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.) को वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए निम्नांकित सामग्रीयों एवं सेवाओं को उपलब्ध एवं विभिन्न निर्माण कार्य कराने हेतु एकीकृत पंजीकृत प्रणाली अंतर्गत सक्षम श्रेणी में पंजीकृत ठेकेदार/व्यक्ति/संस्था/फर्म को निम्नांकित कार्य हेतु मैन्यूअल निविदा त्री-लिफाफा पद्धति से मोहर बंद लिफाफा स्पीडपोस्ट/पंजीकृत डॉक के माध्यम से आमंत्रित की जाती है :-

(निविदा प्रपत्र हेतु आवेदन करने की अंतिम तिथी दिनांक 05.04.2023 एवं निविदा प्रपत्र प्राप्त होने की अंतिम तिथि 21.04.2023)

क्र.	कार्य का नाम	लागत (लाख रु.में)	निविदा प्रपत्र
1	जोनल कार्य अंतर्गत सी.सी. रोड/बी. टी. रोड निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
2	जोनल कार्य अंतर्गत नाली निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
3	जोनल कार्य अंतर्गत भवन निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
4	अध्यक्ष निधि मद से रोड़ / नाली / भवन निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
5	अध्यक्ष निधि मद से अनुशंसित विभिन्न जिम / ओपन जिम सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र "ABC"
6	अध्यक्ष निधि मद से अनुशंसित खेलकूद, फिसल पट्टी, कुर्सी इत्यादि एवं अन्य सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र "ABC"
7	पार्षद निधि मद से सी.सी. रोड/ बी. टी. रोड़ निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
8	पार्षद निधि मद से नाली निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
9	पार्षद निधि मद से भवन निर्माण / मरम्मत संधारण कार्य	19.95	प्रपत्र "A"
10	पार्षद निधि मद से अनुशंसित विभिन्न जिम / ओपन जिम सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र "ABC"
11	पार्षद निधि मद से अनुशंसित विभिन्न खेलकूद, फिसल पट्टी, कुर्सी, इत्यादि एवं अन्य सामग्री प्रदाय	19.95	प्रपत्र "ABC"
12	निकाय के समस्त प्रकार के वाहन जैसे- फायर वाहन, जे.सी.बी. स्काई लिफ्ट, टेक्टर, आटो टिप्पर, टेंकर, ट्राली, ट्राय सायकल एवं हाथ ठेला इत्यादि वाहनों के मरम्मत कार्य	19.95	प्रपत्र "B"
13	प्रकाश विभाग में विभिन्न आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र " ABC"
14	स्वास्थ्य विभाग में लगने वाले आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र " ABC "
15	लोक निर्माण विभाग में लगने वाले विभिन्न निर्माण सामग्री प्रदाय कार्य	19.95	प्रपत्र " ABC"
16	निकाय में होने वाले विभिन्न आयोजनो के लिए शामियाना, पर्दा, मेट, कुर्सी, टेबल, सोफा, कुलर, पंखा, गद्दा, तकिया, साउण्ड सिस्टम एवं अन्य टेंट आवश्यक सामग्री किराये से उपलब्ध कराने का कार्य	10.00	प्रपत्र "B"
17	निकाय में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों के लिए फ्लेक्स, बैनर, पोस्टर, विनाइल फ्लेक्स छपाई कार्य	5.00	प्रपत्र " ABC"
18	स्थापना विभाग में स्टेशनरी तथा प्रिंटिंग कार्य से संबंधित विभिन्न आवश्यक सामग्री प्रदाय कार्य	5.00	प्रपत्र "ABC"

टीप :- विस्तृत निविदा, नियम एवं शर्तें कार्यालयीन समयावधि में कार्यालय से एवं विभागीय वेबसाईट www.uad.cg.gov.in से प्राप्त की जा सकती है।

मुख्य नगर पालिका अधिकारी
नगर पालिका परिषद भाटापारा

स्वत्वाधिकारी, प्रकाशक, मुद्रक व संपादक यशवंत धोटे® द्वारा मीनल पब्लिकेशन एंड प्रोडक्शन प्रा.लि. शेड नं. 74 सरोरा रोड उरला इंडस्ट्रीयल एरिया से मुद्रित कर ब्रिस्टल चौक छोटापारा रायपुर से प्रकाशित, प्रबंध संपादक - चन्द्रशेखर धोटे, फोन : 0771-4035602, डाक पंजीयन क्रमांक CG/RYP/DN/ 40/2019-2021

न्यूज गैलरी

छग का नाम रौशन करेंगे अर्पण के मूकबधिर बच्चे

रायपुर/नवप्रदेश। अर्पण कल्याण समिति द्वारा राजेन्द्रनगर में संचालित अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल में अध्ययनरत मूक-बधिर बच्चों को मूर्ति निर्माण कला सिखाई गई। संचालनालय पुरातत्व अभिलेखागार एवं संग्रहालय द्वारा दस दिवसीय पुरातत्वीय प्लास्टर कास्ट प्रतिकृति प्रशिक्षण कार्यशाला का आयोजन स्कूल परिसर में किया गया। प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे बच्चों की हौसला आफ्जाई के लिए प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी महामंत्री सुभाष शर्मा यहां पहुंचे थे। बच्चों द्वारा बनाई गई प्रतिमाओं की प्रतिकृति को देखकर वे आश्चर्य चकित रह गए। उन्होंने बच्चों की कला व लगन की प्रशंसा करते हुए कहा कि इन बच्चों की कला को और निखारा जाए तो ये छत्तीसगढ़ का नाम दुनिया में रौशन कर सकते हैं। बिना सुने व बिना बोले केवल इशारों की भाषा से समझकर प्लास्टर ऑफ पेरिस या मिट्टी को जीवंत रूप देना किसी करिश्मा से कम नहीं है। और यह करिश्मा अर्पण दिव्यांग पब्लिक स्कूल के मूक-बधिर बच्चों ने कर दिखाया है। इनके प्रशिक्षक संजय झरबड़े भी प्रशंसा के पात्र हैं। शर्मा ने स्कूल को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। इस अवसर पर नगर निगम के सभापति प्रमोद दुबे ने स्कूल की गतिविधियों पर प्रकाश डाला। आभार प्रदर्शन समिति के अध्यक्ष प्रकाश शर्मा ने किया। इस मौके पर समिति के कोषाध्यक्ष विरेन्द्र शर्मा, प्राचार्य कमलेश शुक्ला, मोनिका गुप्ता, विशाल, सुषमा राय आदि मौजूद थे। कार्यक्रम का संचालन सीमा छाबड़ा ने किया।

शीतला माता मंदिर गोंदवारा में 116 ज्योति कलशों की स्थापना

गोंदवारा/नवप्रदेश। संत कबीर दास वार्ड नंबर 3 स्थित आदिशक्ति जगत जननी मां शीतला मंदिर में ज्योति कलशों की स्थापना बड़े ही भक्ति भाव के साथ की गई हैं। नौ दिवसीय नवरात्र पर्व वर्ष में दो बार मनाया जाता है और पूरे नौ दिवस तक अलग-अलग दिन माता रानी के नौ रूपों की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। वहीं भक्तगण माता रानी से मनवांछित इच्छाओं की पूर्ति के लिए जवारे और कलश भी मंदिरों में स्थापित करते है। इस वर्ष शीतला माता मंदिर गोंदवारा में 116 ज्योति कलशों की स्थापना की गई है।

मंदिर के पुजारी रमेश ध्रुव ने बताया कि प्रतिवर्षानुसार इस वर्ष भी नवरात्र पर्व धूमधाम से मनाया जा रहा है। 22 मार्च को 116 मनोकामना कलश स्थापित व जवारे बोए गए है। वहीं प्रतिदिन सुबह शाम आरती संपन्न हो रही है। उन्होंने बताया कि यह मंदिर बहुत पुराना है पहले मंदिर छोटा था जिसके बाद भक्तों के सहयोग से इस मंदिर का जीर्णोद्धार कर बनाया गया है । मंदिर गोंदवारा ग्राम की कुलदेवी के नाम से प्रसिद्ध है।

मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक का अनुमोदन पर जिलाध्यक्ष ने जताया सीएम का आभार

महासमुंद/पिथौरा/नवप्रदेश। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मंत्रिमंडल की बैठक में छत्तीसगढ़ मीडिया कर्मी सुरक्षा विधेयक 2023 के प्रारूप का अनुमोदन किए जाने पर छत्तीसगढ़ जर्नलिस्ट वेलफेयर यूनियन महासमुंद जिला के जिलाध्यक्ष बलराज नायडू ने मुख्यमंत्री के प्रति आभार व्यक्त किया हैं।

वेलफेयर यूनियन के पत्रकार साथियों ने कहा कि मीडिया कर्मियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए मुख्यमंत्री श्री बघेल ने पत्रकार सुरक्षा कानून लागू करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया हैं। जिसमें अपने कर्तव्य निर्वहन के लिए जल्द ही मीडिया कर्मियों को सुरक्षा कवच मिलेगा। आज वेलफेयर यूनियन पिथौरा इकाई की बैठक में उपस्थित बलराज नायडू जिलाध्यक्ष, गौरव चंद्राकर ब्लॉक अध्यक्ष ,संतोष गुप्ता ,रमेश श्रीवास्तव जिला सलाहकार ,कीर्ति पांडे मीडिया प्रभारी, कमलेश डड़सेना ब्लाक महासचिव ,राजा बाबू उपाध्याय सहित समस्त यूनियन के साथियों ने यह विधेयक यथाशीघ्र कानून के रूप में सामने होगा उम्मीद जताते हुए मीडिया कर्मियों के प्रति सहृदयता रखने वाले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सुरक्षा कानून के लिए धन्यवाद ज्ञापित किया हैं।

भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु का शहादत दिवस मनाया

भाटापारा/नवप्रदेश। भगत सिंह उल्का पिंड की तरह भारतीय क्षितिज पर अवतरित हुए थे । अपनी शहादत से पहले वे हर देशवासी के मन में चेतना और आकंछाओ के प्रतीक बन चुके थे द्य उन्होंने लोगो को ये बताया की शोषण और जुल्म करने वालो में देशी और विदेशी का अंतर बेमानी होता है द्य भगत सिंह ने देश से प्रेम किया समाज को बदलना चाहा घर परिवार को समाज का अंग जानकर समाज को आजाद और बेहतर बनाना चाहा द्य भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी हुकूमत घबराने लगी और उन्हें जब लगने लगा भगत सिंह झुकने वालो मे से नहीं है और ज्यादा दिन तक उन्हें जेल मे रखना अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो उन्होंने एकतरफा निर्णय करते भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने की सजा सुना दी ।

अंग्रेजी हुकूमत संकित थी की कही फांसी वाले दिन देश मे किसी तरह अप्रिय स्थिति न हो जिससे अंग्रेजी हुकूमत डर गयी और उन्होंने 23 मार्च की रात्रि को ही गुपचुप तरीके से भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को फांसी दे दी।भगत सिंह की शहादत वर्तमान परिवेश मे प्रासंगिक है वे देश के करोड़ो युवाओ के प्रेरणा स्रोत है लेकिन आजादी के बाद से लेकर लगभग 50 - 55 वर्ष तक शहीदे आजम भगत सिंह को स्कुल की किताबो में आतंकवादी पढ़ाया जाता रहा अंग्रेजो की टोपी जिसे

भगत सिंह जी ने महज अंग्रेजो से छुपने के लिए कुछ समय ही धारण किया था और असेम्बली में बम फेंकने के बाद जब गिरफ्तारी दी जेल में रहते वापस सिक्खी स्वरूप में आ गए थे लेकिन अफ़्सोस तत्कालीन सरकारों ने भगत सिंह जी की आकृति जो अंग्रेजो से छुपने के लिए धारण की थी जबकी वह समय की मजबूरी थी उसे आजाद भारत में किताबो चित्रों में दिखाया ।

आजादी के दीवाने ऐसे वीर सपूत भगत सिंह सुखदेव राजगुरु की शहादत को शत शत नमन है। अमरजीत सिंह सलूजा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिख संगठन ,भगत सिंह उल्का पिंड की तह भारतीय क्षितिज पर अवतरित हुए थे द्य अपनी शहादत से पहले वे हर देशवासी के मन में चेतना और आकंछाओ के प्रतीक बन चुके थे । भगत सिंह ने देश से प्रेम किया समाज को बदलना चहा घर परिवार को समाज का अंग जानकर समाज को आजाद और बेहतर बनाना चाहा द्य भगत सिंह की बढ़ती लोकप्रियता से अंग्रेजी हुकूमत घबराने लगी और उन्हें जब लगने लगा भगत सिंह झुकने वालो मे से नहीं है और ज्यादा दिन तक उन्हें जेल मे रखना अंग्रेजी हुकूमत के लिए खतरनाक साबित हो सकता है तो उन्होंने एकतरफा निर्णय करते भगत सिंह सुखदेव और राजगुरु को 24 मार्च 1931 को फांसी दिए जाने की सजा सुना दी ।

अमरजीत सिंह सलूजा प्रदेश कार्यकारी अध्यक्ष छत्तीसगढ़ सिख संगठन ने बताया कि आज भाटापारा में ज्ञानी निरंजन सिंह के द्वारा भगत सिंह के माल्यार्पण कर अरदास की हुई और प्रसाद वितरित किया गया एवं की शहादत को याद किया गया।

कार्यक्रम में मुख्य रूप बलवंत सिंह सलूजा अध्यक्ष गुरुद्वारा गुरु सिंह सभा, अमरजीत सिंह सलूजा, राजा गुम्बर, राजू सलूजा, तंजीव अरोरा ,ज्ञानी निरंजन सिंह, रोबिन चावला, बयांत सिंह, गुरमीत स गुंबर, बिल्लू छाबड़ा, परमजीत सिंह छाबड़ा, जोंटी गुम्बर, गगन जित अनंद , राजेश छाबड़िया, नरेश आर्य , हप्पी, हर्ष सलूजा, मोहन केशरवानी , नानक गिद्वानी, उमंग चावला, आदि सदस्य बड़ी संख्या में उपस्थित थे ।

हिन्दू नववर्ष पर सशिमं ने निकाली शोभायात्रा

अर्जुनी/नवप्रदेश। चैत्र नवरात्र और नव संवत्सर के अवसर पर सरस्वती शिशु मंदिर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अर्जुनी में आकर्षक झांकियों के साथ नगर भ्रमण किया गया। साथ ही नगरवासियों को नववर्ष का अभिनंदन देते हुए पूरे नगर में शोभायात्रा निकाली गई। विद्यालय के भैया बहनों द्वारा नवदुर्गा के नव स्वरूपों का झांकी ट्रैक्टर के माध्यम से निकाला गया जिसका प्रत्यक्ष दर्शन लोगो को कराया गया। जिसे भैया बहन आचार्य दीदी व दुर्गावाहिनी के बहनो के सहयोग से रैली निकाला गया। शोभायात्रा विद्यालय प्रांगण से निकलकर बाजार चौक, वीतराग चौक, महामाया मंदिर, मावली चौक, गांधी चौक ,बस स्टैंड, कॉपरेटिव बैंक सहित विभन्न स्थानों से निकला। महामाया मंदिर प्रांगण में सरपंच के द्वारा शोभायात्रा का स्वागत किया गया। उक्त शोभायात्रा को डमरूधर वर्मा द्वारा भारतीय नववर्ष चैत्र नवरात्र वर्ष प्रतिपदा के महत्व पर प्रकाश डाला गया। इस अवसर पर

विद्यालय के प्राचार्य रमेश कुमार शर्मा, आचार्य पुरुषोत्तम लाल वर्मा, यादव राम वर्मा, वीरेंद्र वर्मा, बसंत वर्मा ,माखन लाल साहू, श्रवण निषाद, हिछाराम भरतद्वाज, किशोरी लाल ध्रुव, लक्ष्मीनारायण निषाद, दीदियों में भगवती सेन, टिकेश्वरी वर्मा, फाल्गुनी वर्मा, भागमती निषाद, कमला वर्मा, वर्षा नायक, उमेश्वरी वर्मा, सहित आचार्य रिपुसूदन श्रीवास व चैनसिंग वर्मा का विशेष सहयोग प्राप्त हुआ।

योग एवं व्यायाम केन्द्र की स्थापना

राजनांदगांव/नवप्रदेश। वर्तमान प्रतियोगी और व्यस्तता के इस दौर में शरीर और मन को स्वस्थ रखना एक बड़ी चुनौती है। स्वस्थ शरीर और शांत मन के लिए योग व व्यायाम से अच्छा कोई विकल्प नहीं है। इस दिशा में वनांचल की अग्रणी समाज सेवी संस्था श्री धर्मनाथ तिवारी स्मृति सेवा समिति मोहला द्वारा डीएनटी पब्लिक स्कूल, मोहला में एक स्थायी योग एवं व्यायाम केन्द्र की स्थापना 17 मार्च 2023 को की गई है। इस अवसर पर समिति के सचिव संतोष पाण्डेय, कोषाध्यक्ष अनिल तिवारी के द्वारा दीप प्रज्ज्वलित कर योग एवं व्यायाम केन्द्र की शुभारंभ किया गया। यह केन्द्र अंचल के महिलाओं एवं बच्चों के लिए प्रतिदिन प्रातः 6 से 7 बजे तक पूर्णतः निःशुल्क संचालित होगा।

सचिव संतोष पाण्डेय ने बताया कि समिति द्वारा इस हेतु एक प्रशिक्षित योगा एवं व्यायाम शिक्षक की नियुक्ति की गई है। योग विशेष रूप से बच्चों में एकाग्र शक्ति को बढ़ाने एवं फोकस निर्माण के लिए बहुपयोगी है। योग से शरीर व मन दोनों को स्वस्थ रखने में मदद मिलता है। इस हेतु समिति द्वारा किये गए इस प्रयास की सभी ने प्रशंसा की। कार्यक्रम में अंचल के बच्चे, महिलायें एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे।

सड़क हादसे में महिला की मौत

कवर्धा/नवप्रदेश। जिले के विकास खंड पड़रिया अंतर्गत ग्राम डोमसरा में कच्चे मकान की दीवार ढहने से महिला की मौत हो गई है. यह दर्दनाक हादसा डोमसरा गांव में हुआ है. बताया जा रहा है कि लगातार बारिश की वजह से कच्चे मकान का अर्थ दीवार भरभराकर गिरने से हादसा हुआ है. यह घटना कुंडा थाना क्षेत्र की है.जानकारी के अनुसार, जिले में बेमौसम बारिश होने से किसान के साथ-साथ आम लोग भी परेशान है. कच्चे मकान में रहने वाले लोगों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ा.सभी ऑर्डर्स पर फ्री डिलीवरी पायें लगातार बारिश से डोमसरा गांव में कच्चे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई. हादसे में 30 वर्षीय महिला दुर्गा बाई की मौत हो गई. घटना की सूचना पर मौके पर पुलिस पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं इस घटना से मृतिका के घर में मातम पसर गया है।

देश विरोधी प्रदर्शनकारियों पर कार्यवाही का स्वागत

रायपुर/नवप्रदेश। देश विरोधी प्रदर्शन करने वालों पर की गयी कानूनी कार्यवाही का कांग्रेस ने स्वागत किया है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि छत्तीसगढ़ शांत प्रदेश है, यहां कानून का राज है। छत्तीसगढ़ के शांत धरा को कोई भी दल संगठन या व्यक्ति अशांत करने का षड्यंत्र करेगा, कानून उस पर कड़ी से कड़ी कार्यवाही करेगी, राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में शामिल लोगों को माफ नहीं किए जाएंगे उन्हें सजा मिलेगी। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस ने राष्ट्र विरोधियों को हमेशा मुंहतोड़ जवाब दिया है। राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल कोई भी व्यक्ति हो उसे कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिये। कांग्रेस के नेताओं ने इस देश की माटी के लिए एकता, अखंडता के लिये मजबूत राष्ट्र के लिये अपने प्राणों की आहुति दी है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रधानमंत्री राजीव गांधी का बलिदान देश की जनता भूली नहीं है। प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार बनने के बाद केंद्रीय गृह मंत्रालय खुफ्यिा विभाग आईबी और अन्य संस्थाएं जिनका काम देश विरोधी कृत्य पर नजर रखना है वह असफ्ल साबित हुई है। राष्ट्र विरोधी अमृतपाल 6 महीना पहले दुबई से भारत आता है और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को संचालित करता है और केंद्रीय गृह मंत्रालय और पंजाब सरकार को पता नहीं चलना यह दुर्भाग्य की बात है? देश की खुफ्यिा एजेंसी असफ्ल हर मामले में हो रही है, पुलवामा में 370 किलोग्राम आरडीएक्स कैसे पहुँच गया, गृह मंत्रालय के पास कोई जवाब नहीं है? पठानकोट में आतंकी हमला होता है गृह मंत्रालय को पता नही होता है? संवेदनशील जम्मू में गुजरात का किरण पटेल पीएमओ के अधिकारी बनकर+सुरक्षा में ठाट से घूमता है गृह मंत्रालय को पता नही चलता है? प्रदेश कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर ने कहा कि मोदी सरकार केंद्रीय एजेंसियों को सिर्फविपक्षी दल के नेताओं के पीछे लगा कर रखी हुई है उनका जो मूल काम है उससे हटा दिया गया है। इसका ही परिणाम है कि राष्ट्र विरोधी ताकतें देश के भीतर घुस रही है और केंद्रीय गृह मंत्रालय को इस बात का पता नहीं है। पंजाब सरकार की लापरवाही और केंद्रीय गृह मंत्रालय के असफ्लता के चलते ही राष्ट्र विरोधी ताकतें पैर पसार रही है लेकिन वह असफ्ल रहेंगे। भारत एक मजबूत राष्ट्र है और देश का बच्चा-बच्चा ऐसे राष्ट्र विरोधियों को मुंहतोड़ जवाब देने तैयार है।

चंडी माई धाम गौरमाटी में 285 ज्योति कलश प्रज्वलित

कवर्धा/नवप्रदेश। सहसपुर लोहारा विकासखंड के ग्राम गौरमाटी में प्राचीन काल से तीन तालाबों के मध्य विराजमान मां चंडी देवी के मंदिर में चैत्र नवरात्रि का पर्व श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जा रहा है. मंदिर समिति के द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार सिल्हाटी-थान खमरिया मुख्य मार्ग पर स्थित ग्राम गौरमाटी की दक्षिण दिशा में अद्वितीय प्राकृतिक स्थल पर स्वयं प्रकट मां चंडी देवी का मंदिर दूर-दूर के श्रद्धालुओं का आस्था का केंद्र बना हुआ है. मंदिर परिसर का शांत तथा शीतल वातावरण दर्शनार्थियों को सहज ही आकर्षित करता है. मंदिर में 34 घृत तथा 251 तेल सहित कुल 285 ज्योति कलश दूर-दूर के श्रद्धालुओं के द्वारा प्रज्वलित कराए गए हैं. ज्योति कलश प्रज्वलित कराने वालों में प्रमुख रूप से छत्तीसगढ़ के मंत्री मोहम्मद अकबर, विधायक ममता चंद्राकर, पूर्व विधायक मोतीराम चंद्रवंशी, अर्जुन तिवारी,रघुराज सिंह, सुषमाअजीत चंद्रवंशी, पुलिस अधिकारी नरेंद्र बेताल, मुकेश यादव सहित अन्य श्रद्धालु सम्मिलित हैं.

पत्रकारिता पर चर्चा कार्यक्रम का आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। स्टेट वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन छत्तीसगढ़ की ओर से प्रदेश अध्यक्ष पी सी रथ के मार्गदर्शन में 23 मार्च 2023 गुरुवार को रायपुर के उपनगर- उरकुरा (बीरगांव) के बाजार चौक पर भगतसिंह की पत्रकारिता पर चर्चा की गई। पत्रकारिता को बचाना ही लोकतंत्र को बचाना है इस ध्येय वाक्य के साथ आयोजित कार्यक्रम में पत्रकारों चोवाराम वर्मा , लवकुमार साहू व अन्य कर्मचारी साथी सतीश वर्मा व वार्ड पार्षद शरद साहू , दीपक साहू , पतिराम साहू पूर्व पार्षद कोमल वर्मा प्रभुराम साहू,दिलीप साहू, प्रकाश साहू, मोतीराम साहू, वरिष्ठ रंगकर्मी बलराज पाठक जैसे बुद्धिजीवी वर्ग के साथ मिल कर कार्यक्रम की शुरुआत की गई। पत्रकारिता के समक्ष आज की चुनोतियों को रेखांकित करते हुए शहीद भगतसिंह की सजग पत्रकारिता को याद किया गया।

आज देश में पत्रकारिता के समक्ष चुनोतियों को देखते हुए एकजुटता तथा लोकतंत्र को बचाने के लिये संघर्ष क्यों जरूरी है, बताया गया। औद्योगिक क्षेत्र उरकुरा सभी यूनियन सदस्य अपने साथियों के साथ शामिल रहे ।

आरएसएस ने मनाया प्रतिपदा वर्ष

भाटापारा/नवप्रदेश। हम सबके लिएआज का दिन बड़ा सौभाग्यशाली दिन है आज ही हमारे इष्ट देव भगवान रामचंद्र जी का जन्म हुआ था आज से ही चैत्र नवरात्र की शुरुआत हो रही है और आज ही के दिन संघ के संस्थापक डॉ हेडगेवार जी का जन्मदिवस है तथा आज से ही हम राष्ट्रीय सेवक संघ का वर्ष प्रतिपदा वर्ष मना रहे हैं उक्त बातें आर एस एस के साथ जिला संघचालक गणेश देवांगन ने संघ के द्वारा मनाए जा रहे वर्ष प्रतिपदा वर्ष समारोह में कही।

उन्होंने कहा कि संघ के द्वारा मनाए जा रहे छह उत्सवों में यह प्रमुख उत्सव है आगे चलकर हम और तीन उत्सव वीर शिवाजी का निर्वाण दिवस तथा महर्षि दयानंद की जयंती एवं भगवान महावीर का निर्वाण दिवस भी संघ की शाखाओं में मनाएंगे

देवांगन ने आगे कहा कि 1925 से शुरू हुई संघ की शाखा आज विश्व का सबसे बड़ा संगठन बन गया है इसके लिए हमारे संघ सेवकों के त्याग और बलिदान को नहीं भूलाया जा सकता इस यात्रा में संघ पर तीन बार प्रतिबंधभी लगे परंतु संघ अपने मार्ग से विचलित नहीं हुआ और आज संघ पूरे जनमानस में स्वीकार्यता हो गया है संघ की शाखा में आने से हमारे अंदर की मनह स्थिति प्रबल होती है आज संघ से निकले हुए स्वयंसेवक देश एवं विदेश के उच्च पदों पर पहुंचे हैं हमारे देश के प्रधानमंत्री भी संघ की शाखा से ही निकले हैं उनके नेतृत्व में आज भारत की पताका पूरे विश्व में फहरा रही है।

बिना धर्मकांटे के वाहनों पर होने वाली कार्यवाही को लेकर विस में डॉ रेणु जोगी ने उठाया मामला

कवर्धा/नवप्रदेश। चिल्फीघाटी स्थित परिवहन विभाग के जांच चौकी में बिना धर्मकांटे के वाहनों पे होने वाली कार्यवाही को लेकर विधानसभा में जोगी कांग्रेस की सुप्रीमो डॉ रेणु अजित जोगी ने मामला उठाया । डॉ रेणु अजित जोगी ने पूछा कि (क) कबीरधाम जिले के चिल्फी घाटी में स्थित परिवहन जांच चौकी में कितने अधिकारी कर्मचारी पदस्त है पदनाम और नियुक्ति दिनांक बताए (ख)परिवहन जांच चौकी चिल्फी में वर्ष 2021-

22,2022-23 में दिनांक 31/1/2023 तक कितनी गाड़ियों पर कार्यवाही हुई है? कार्यवाही से कितना राजस्व प्राप्त हुआ है वर्षवार आंकड़े दे। (ग) क्या चिल्फीघाट बेरियर में धर्मकाटा लगा है यदि नही तो बिना धर्म कांटे के किस आधार पर कार्यवाही की जा रही है ? चिल्फी बेरियर पर धर्म काटा कब तक लग जाएगा वन परिवहन मंत्री अकबर ने जवाब दिया कि चिल्फी घाटी में धर्म काटा नही लगा है । कार्यवाही मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 113 एवम

114 के प्रावधानो के अंतर्गत की जाती है ।धर्मकांटे लगाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है निश्चित समयसीमा बताया जाना सम्भव नही है ।

पूजा अर्चना कर की गई ज्योत जवारा की स्थापना

गुंडरदेही/नवप्रदेश। इस बार बुधवार 22 मार्च से चैत्र नवरात्रि एवं हिंदू नव वर्ष का शुभारंभ हो गया है। गुंडरदेही मुख्यालय सहित ग्रामीण अंचलों के मंदिर देवालय एवं शीतला माता मंदिरों में मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि विधान से पूजा अर्चना कर ज्योत जवारा की स्थापना की गई। आपको बता दें कि चैत्र नवरात्रि को लेकर श्रद्धालुओं में काफी उत्साह का माहौल देखने को मिल रहा है। शीतला माता मंदिर सहित मां दुर्गा की मंदिरों में सुबह से ही श्रद्धालुओं की भीड़ लगी हुई है। नवरात्रि पर्व की शुरुआत होते ही श्रद्धालुओं ने मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की विधि-विधान से पूजा कर व्रत रखे।

उल्लेखनीय है कि अखंड ज्योत माता के प्रति आपकी अखंड आस्था का प्रतीक स्वरूप होती हैं। जिसके चलते चैत्र नवरात्रि में माता दुर्गा के सामने नौ दिन तक अखंड ज्योत जलाई जाती है। और मां दुर्गा के नौ स्वरूपों की पूजा की जाती हैं।

हिंदू धर्म में वैसे तो कई तरह के धार्मिक पर्व और त्योहार मनाए जाते हैं। साथ ही सबके अलग-अलग रीति-रिवाज होते हैं। इसी तरह नवरात्रि में कलश स्थापना और ज्वारे या जौ का बहुत अधिक महत्व होता है। नवरात्रि के पहले दिन ही घट स्थापना यानी कलश स्थापना के साथ ही जौ बोए जाते हैं। मान्यता है कि इसके बिना मां दुर्गा की पूजा अधूरी रह जाती है।

चंडी मंदिर में 253 एवं शीतला मंदिर में 107 ज्योति कलश स्थापित

प्राप्त जानकारी के मुताबिक गुंडरदेही के प्रसिद्ध माता चंडी मंदिर में इस वर्ष 253ज्योति कलश की स्थापना की गई है जिसमें से 22 कलश घी ज्योति कलश शामिल है। वही शीतला माता मंदिर में इस बार 107 ज्योति कलश की स्थापना की गई है जिसमें 6 घी ज्योति कलश की स्थापना हुई है।

माता के नौ स्वरूप

उल्लेखनीय है कि नवरात्रि पर्व पर माता के शक्ति स्वरूप नौ अलग अलग रूपों की पूजा की जाती है और इन नौ देवियों को शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कूष्मांडा, स्कंदमाता, कात्यायनी, कालरात्री, महागौरी और सिद्धिदात्री के नाम से जाना जाता है। माता के ये नौ रूप शक्ति का प्रतीक माने गए हैं।

1 वर्षीय बच्ची में हाइब्रिड पर वेंट्रिकुलर वीएसडी डिवाइस क्लोजर

रायपुर/नवप्रदेश। गंभीर कुपोषण से ग्रस्त एक वर्ष की छोटी बच्ची का ओडिसा में एनएच एमएमआई नारायणा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल द्वारा आयोजित एक बाल चिकित्सा कार्डियोलॉजी शिविर में परीक्षण किया गया जिसमें यह पाया गया कि उसका वजन सिर्फ 5 किलोग्राम ही है, जिसमें (14 एमएम) वीएसडी (इसमें दिल के निचले कक्षों के बीच दीवार में एक छेद होता है जिसके साथ बहुत अधिक पीए प्रेशर (फेफड़ों में उच्च रक्तचाप) पाया गया।

आगे इलाज के लिए उस बच्ची को एनएच एमएमआई नारायणा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल, रायपुर में लाया गया, जाँच और परीक्षण के बाद, बच्ची में गंभीर रूप से कुपोषण और वीएसडी के निदान

की पुष्टि हुई और अब वीएसडी को बंद करने की जरूरत थी। लेकिन ओपन हार्ट सर्जरी में जोखिम बोहोत अधिक था और लंबे समय तक अस्पताल में जीवित रखना भी मुश्किल था। इस जोखिम को कम करने के लिए हर संभव प्रयास किया गया। वीएसडी बंद करना एक अच्छा विकल्प था, लेकिन वीएसडी बहुत बड़ा था और इसीलिए उसके अनुसार एक बहुत बड़े उपकरण के साथ उसके डेलेवेरी सिस्टम की आवश्यकता थी। क्योंकि यह बच्ची ज्यादा छोटी थी और वीएसडी अधिक बड़ा था जिसमें परक्यूटेनियस क्लोजर तकनीकी द्वारा प्रक्रिया करना संभव नहीं था। इसलिए एक नई तकनीक की योजना बनाई गई हृदय की एक दीवार (राइट वेंट्रिकल फ्री वाल) मे सीधे पंचर करके डिवाइस से बंद कर दिया गया था, फिर उपकरण लगाने के बाद सर्जन द्वारा पंचर को बंद कर दिया गया। टीईई एक तरह की इकोकार्डियोग्राफी है, जिसमें अन्नप्रणाली द्वारा एक ट्रांसड्यूसर के साथ एक प्रोब डाली जाती है। यह वास्तविक समय में हृदय और डिवाइस प्लेसमेंट की एक स्पष्ट छवि प्रदान करता है। इस प्रक्रिया को सफलतापूर्वक पूर्ण करने में 45-50 मिनट लगे। ऑपरेशन के बाद अब बच्ची स्वस्थ है और प्रक्रिया के सातवें दिन ही उसे छुट्टी भी दे दी गई। योजना, निष्पादन और पोस्ट ऑपरेटिव देखभाल से इस तरह की प्रक्रिया के लिए टीम के सदस्यों के बीच अत्यधिक सामंजस्य की आवश्यकता होती है।

इस प्रक्रिया को सफल बनाने के लिए एनएच एमएमआई नारायणा सुपरस्पेशलिटी हॉस्पिटल के कार्डियक साइन्सेस की टीम ने अपना पूरा समर्पण दिया जिसमे कार्डियक सर्जन (डॉ हरि कुमार, डॉ सुमित), कार्डियक एनेस्थेसिस्ट (डॉ अरुण अंडपन, डॉ राकेश चंद, डॉ धर्मेश) और कार्डियोलॉजिस्ट (डॉ सुमंत शेखर पाढ़ी, डॉ किंजल बख्शी) शामिल थे।

■ न्यूज गैलरी

हिंदू नववर्ष पर नगर में निकाली भव्य शोभायात्रा

महासमुंद/नवप्रदेश। चैत्र नवरात्रि व हिन्दू नववर्ष के अवसर पर आज बुधवार को नगर में भव्य शोभायात्रा निकाली गई। संसदीय सचिव व विधायक विनोद सेवनलाल चंद्राकर ने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की पूजा अर्चना की। बाद इसके तुमगांव मार्ग स्थित शारदा मंदिर परिसर से शोभायात्रा प्रारंभ हुई। इस दौरान शहर के चौक-चौराहों पर श्रद्धालुओं ने शोभायात्रा का स्वागत किया। शहर में हिंदू नववर्ष धूमधाम के साथ मनाया गया।

व्याख्यानमाला व यूको राजभाषा सम्मान का आयोजन

रायपुर/नवप्रदेश। यूको बैंक, अंचल कार्यालय, रायपुर ने बैंक के संस्थापक जी.डी. बिड़ला जी की स्मृति में 23 मार्च को 'राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 एवं भाषा विमर्श' विषय पर हिंदी में व्याख्यानमाला एवं यूको राजभाषा सम्मान समारोह का आयोजन किया। समारोह के मुख्य अतिथि एवं मुख्य वक्ता प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय, रायपुर थे। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रो. शैल शर्मा, अध्यक्ष, साहित्य एवं भाषा अध्ययनशाला एवं लकि नायक उप महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख उपस्थित थीं। गणमान्य अतिथियों ने दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। जबकि सुरभि चटर्जी, वरिष्ठ प्रबंधक यूको बैंक ने गणेशा वंदना द्वारा मंगलाचरण किया। मुख्य अतिथि प्रो. केशरी लाल वर्मा, कुलपति, पं. रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने अपने उद्बोधन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 पर प्रकाश डालते हुए कहा कि शिक्षा नीति ऐसी होनी चाहिए ,जिसकी जड़ें भारतीय संस्कृति से जुड़ी हों एवं ज्ञान विश्वस्तरीय हो। अपनी भाषा के बिना कोई देश महान नहीं बन सकता है। इसलिए इस शिक्षा नीति में शिक्षा के माध्यम के रूप में तथा उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं तकनीक के क्षेत्र में हिंदी एवं भारतीय भाषाओं को प्रमुखता दी गई है। अपनी भाषा में ही अवधारणा स्पष्ट होती है ,जो अनुसंधान एवं नवाचार के लिए अनिवार्य है। इस शिक्षा नीति में लोगो में राष्ट्रीयता, संस्कृति व नैतिकता के भाव का संचार हो, इस पर भी ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति -2020 अपनी भाषा व संस्कृति के माध्यम से देश का सर्वांगीण विकास करने में समर्थ है।

गहरी खाई में गिरी पिकअप, 24 लोग हुए घायल

कवर्धा/नवप्रदेश। कवर्धा जिले के लोहारा थाना क्षेत्र में तेज रफ्तार पिकअप 25 फीट गहरी खाई में जा गिरी। पिकअप में बच्चों सहित 24 लोग सवार थे। इस हादसे में सभी लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। बताया जा रहा है कि आठ की हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। सभी घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। बीती रात घानीखुटा घाट पर यह घटना हुई है। जानकारी के मुताबिक, आदिवासी परिवार सगाई समारोह में सराईपतेरा गया था। सगाई समारोह से घर लौटने के दौरान हादसा हुआ है। घटना की सूचना मिलते ही 112 की टीम मौके पर पहुंची और सभी को इलाज के लिए लोहारा हॉस्पिटल में भर्ती कराया है। जहां सभी का इलाज चल रहा। आदिवासी परिवार दशरंगपुर पुर चौकी के पेंड्रा का रहने वाला है। हादसे में घायल लोगों की सूची भी जारी की गई है। गंभीर हाल में नौ लोगों को कवर्धा रेफर किया गया है।

इन 9 घायलों को जिला अस्पताल रेफर किया गया

- तुलसी गोड़, 45 वर्ष, निवासी सिंघनपुरी, थाना खम्हरिया, जिला बेमेतरा।
- जगत राम गोड़, 55 वर्ष, निवासी दुल्लापुर, थाना पिपरिया।
- राकेश गोड़, 32 साल, निवासी दैहानडीह, सहसपुर लोहारा थाना क्षेत्र।
- भागवत गोड़, 65 वर्ष, निवासी, पेंड्रा चौकी दशरंगपुर पिपरिया, कवर्धा।
- तामन गोड़, 66 वर्ष, निवासी, दुधिया चौकी दशरंगपुर पिपरिया, कवर्धा।
- नर्मदा गोड़, 40 वर्ष, निवासी, दुधिया चौकी दशरंगपुर पिपरिया, कवर्धा।
- बल्ला गोड़, 55 वर्ष, निवासी, पेंड्रा चौकी दशरंगपुर पिपरिया, कवर्धा।
- अधनू धुर्वे, 50 वर्ष, निवासी, दुल्लापुर, थाना पिपरिया।
- गिरवर, 32 वर्ष, निवासी कुआं चौकी, दशरंगपुर, पिपरिया, कवर्धा।

दंतेवाड़ा में पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़

■ पोकलेन मशीन और ट्रक में लगाई आग

जगदलपुर/नवप्रदेश। जगदलपुर में केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर एक ओर जहां पुलिस विभाग से लेकर सीआरपीएफ व्यापक स्तर पर तैयारियों पर जुटा हुआ है। वहीं, लगातार नक्सली इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। वह लगातार पर्चा जारी करते हुए बस्तर प्रवास को लेकर विरोध कर रहे हैं। नक्सली अपनी उपस्थिति दर्ज कराते हुए घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। जिसका ताजा उदाहरण दंतेवाड़ा में देखने को मिला हैं। जहां रेलवे ट्रैक के काम में लगे वाहनों को जला दिया। जानकारी के मुताबिक किरंदुल रेलवे ट्रैक के दोहरीकरण कार्य में लगी पोकलेन मशीन को नक्सलियों ने आग के हवाले कर दिया। इसके अलावा बचेली में भी ट्रक को आग लगाने के साथ ही सैकड़ो की तादात में नक्सली पर्चे भी फेके हैं। दंतेवाड़ा जिले के बचेली इलाके में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हो गई है। पुलिस अफसरो ने बताया कि 22-23 मार्चकी दरम्यानी रात्रि लगभग एक बजे सीपीआई माओवादी संगठन के कुछ अज्ञात माओवादी कैडर द्वारा जिला दन्तेवाड़ा के थाना बचेली के समीप पढ़ापुर के पास रेलवे ट्रैक दोहरीकरण कार्य में उपयोग किये जा रहे एक जेसीबी मशीन और लौह अयस्क परिवहन में उपयोग किये जा रहे एक ट्रक में आगजनी कर रहे थे। इस दौरान थाना बचेली के सुरक्षा बल जो आसपास जंगलों में एरिया डॉमीनेशन की कार्रवाई कर रहे थे। उसे आते देख आगजनी घटना कर रहे माओवादियों द्वारा फायरिंग की गई। माओवादियों के फायरिंग की जवाबी कार्रवाई में पुलिस पार्टी द्वारा भी फायरिंग की गई।

शहीद दिवस पर संघर्ष तेज करने का किसान सभा ने लिया संकल्प

कोरबा/नवप्रदेश। छत्तीसगढ़ किसान सभा और भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ ने आज 23 मार्च को भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव की 92वीं शहादत दिवस को मनाया तथा उनके शोषण विहीन, वर्ग विहीन समाज के निर्माण के संघर्ष को तेज करने का संकल्प लिया। कुसमुंडा में 507 दिनों से चल रहे धरना स्थल में तीनों शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई तथा उनकी तस्वीरों पर पुष्पांजलि अर्पित की गई। इस वर्ष यह दिन किसान आंदोलन, विस्थापन और रोजगार से जुड़ी मांगो को केंद्र में रखकर मनाया गया। सभा में इंकलाब जिंदाबाद के नारों के साथ मोदी सरकार की किसान-मजदूर विरोधी नीतियों के खिलाफ 5 अप्रैल को दिल्ली में आयोजित मजदूर-किसान संघर्ष रैली को भी सफल बनाने की अपील की गई।

शहादत दिवस पर आयोजित श्रद्धांजलि सभा को किसान सभा के जवाहर सिंह कंवर, प्रशांत झा, जय कौशिक, सुमेंद्र सिंह कंवर तथा भू-विस्थापित रोजगार एकता संघ के दामोदर श्याम, रेशम यादव, रघु, हरिहर आदि ने संबोधित किया।

किसान सभा के अध्यक्ष जवाहर सिंह कंवर और जय कौशिक ने कहा कि भगत सिंह का जन्म 27 सितम्बर 1907 को हुआ था और देश की आजादी के लिए 23वर्ष की उम्र में हंसते हंसते फांसी पर चढ़ गए। उनका सपना था कि भारत आजाद होगा, तो सबको एक सामान शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार की गारंटी मिलेगी, हर खेत में पानी पंहुचेगा और खुशहाली आएगी। शोषण, अन्याय मुक्त व बराबरी पर आधारित जिस आजाद भारत का सपना उन्होंने देखा था, वह उनकी शहादत के इतने साल बाद भी अधूरा है।

चार हितग्राहियों को 4-4 लाख आर्थिक सहायता स्वीकृत

धमतरी/नवप्रदेश। प्राकृतिक आपदा से मृत जिले के चार लोगों के परिजनों को कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी ने आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत किए हैं। प्राप्त जानकारी के अनुसार मगरलोड तहसील के राजपुर निवासी धनीराम ध्रुव की सर्पदंश से 06 जुलाई 2022 को मृत्यु हो गई। इसके फलस्वरूप उनकी पत्नी सुखम बाई ध्रुव को आर.बी.सी. 6-4 के तहत आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई। इसी तरह कुकरेल तहसील के ग्राम दरगहन निवासी आनेन्द्र कुमार साहू की मृत्यु पानी में डूबने की वजह से 29 सितम्बर 2022 को हो गई। फलस्वरूप उनके पिता मकुन्द साहू को चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता आरबीसी 6-4 के तहत स्वीकृत की गई।

नगरी तहसील के ग्राम रानीगांव के घासीराम की महानदी के पानी में डूबने के कारण 18 अक्टूबर 2022 को मृत्यु हो जाने पर उनकी पत्नी पंछी बाई को चार लाख रूपये और कुकरेल तहसील के ग्राम दरगहन निवासी बसंती बाई साहू की सर्प काटने के कारण 20 अक्टूबर 2022 को मृत्यु होने पर पुत्र बिसेलाल साहू को आर.बी.सी. 6-4 के तहत चार-चार लाख रूपये की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।

दो लोगों को 50-50 हजार रुपए स्वीकृत

धमतरी/नवप्रदेश। कोविड 19 के कारण मृत व्यक्तियों के परिजन/आश्रितों को अनुदान सहायता दिया जाता है। इसके तहत कलेक्टर ऋतुराज रघुवंशी द्वारा जिले के दो हितग्राहियों को राज्य आपदा मोचन निधि से 50-50 हजार रूपये की स्वीकृति दी गई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार कुरूद के ग्राम जोरातराई के गोवर्धन की मृत्यु कोविड 19 से होने पर उनके परिजन प्रेमीन दीवान और ग्राम मंदरौद के तन्मय यादव की मृत्यु कोविड 19 से होने पर उनके परिजन कमल नारायण यादव को 50-50 हजार रूपये की स्वीकृति राज्य आपदा मोचन निधि से दिया गया है।

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग 1
मामले की श्रेणी- राजस्व
संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील दुर्ग प.ह.न. 00052 उमरपोटी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्र.क्र. सीजी5106221032023032

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00052 के अंतर्गत ग्राम उमरपोटी के वर्तमान भूमिस्वामी आशा विश्वकर्मा पिता/पति मंगरू विश्वकर्मा पता म.न. 231 वार्ड न. 61 शितला मंदिर के पास मरोदा टैंक भिलाई तह व् जिला दुर्ग खुद व बहे मु. आम शिवसहाय विश्वकर्मा पिता/पति मंगरू विश्वकर्मा पता म.न. 231 वार्ड न. 61 शितला मंदिर के पास मरोदा टैंक मिलाई तह व जिला दुर्ग मुराही विश्वकर्मा पिता/पति मंगरू विश्वकर्मा पता म.न. 231 वार्ड न. 61 शितला मंदिर के पास मरोदा टैंक भिलाई तह व् जिला दुर्ग, रामआसरे पिता/पति मंगरू विश्वकर्मा पता म.न. 231 वार्ड न. 61 शितला मंदिर के पास मरोदा टैंक भिलाई तह व् जिला दुर्ग रामसहाय विश्वकर्मा पिता/पति मंगरू विश्वकर्मा पता- म.न. 231 वार्ड न. 61 शितला मंदिर के पास मरोदा टैंक मिलाई तह व् जिला दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा क्रमांक 799 (0.0340) में प्रस्तावित भूमिस्वामी / क्रेता सुनीत कुमार सिंह पिता/पति कृष्ण नन्द सिंह पता - म. न. 87/ 15 मोतीलाल नेहरू नगर भिलाई तह व जिला दुर्ग के नाम पर पंजीयन/फ़ौती होने के उपरांत नामांतरण /अभिलेख दुरुस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 24/03/2023 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग पर की जावेगी । उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/ संस्था को कोई दावा आपति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपति स्वयं/अधिवक्ता/ आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा। यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 23/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — नायब तहसीलदार दुर्ग 1

कार्यालय संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल, संपदा प्रबंधन
प्रक्षेत्र-02, शंकर नगर, रायपुर (छ.ग.)
फोन नं. 0771-2436320
email ID: eocghbzone2@gmail.com

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि सामान्य आवास योजनांतर्गत सूर्या अपार्टमेंट कटोरातालाब, रायपुर में स्थित बी टाईप फ्लैट क्र.-74, श्रीमती वाय. रश्मि पति श्री वाय. लक्ष्मी नारायण के नाम पर इस इस कार्यालय के आबंटन आदेश क्र. 7941 दिनांक 26.10.1995 द्वारा भाड़ाक्रय आधार पर आबंटित किया गया है। तत्पश्चात इस कार्यालय का संयुक्त नाम आदेश क्र. 105 दिनांक 15.12.1997 द्वारा (1) श्री देवेन्द्र कुमार नायडू पिता स्व. श्री एस. एम. आर. नायडू (2) श्रीमती सी. राखी नायडू पति श्री सी. विजय नायडू का नाम जोड़ा गया। आबंटियों द्वारा उक्त फ्लैट का पूर्ण मूल्य जमा कर अपने पक्ष में दिनांक 26.03.2002 को सेलडीड पंजीकृत करा लिया गया है। सह-आबंटी श्री देवेन्द्र कुमार नायडू पिता स्व. श्री एस.एम.आर. नायडू, की मृत्यु दिनांक 23.04.2008 को हो जाने के कारण उनके उत्तराधिकारीगण पुत्रियाँ (1) श्रीमती वाय. रश्मि पति श्री वाय. लक्ष्मी नारायण, निवासी- म.नं.-1594, सेक्टर-45, गुरूग्राम (हरियाणा) (2) श्रीमती सी. राखी नायडू पति श्री सी. विजय नायडू, निवासी- प्लॉट नं.-15, गेहानी ले-आऊट, राजनगर, काटोल रोड, नागपुर (महाराष्ट्र) के द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, शपथ पत्र एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत कर उक्त फ्लैट अपने संयुक्त नाम पर नामांतरण करने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया गया है।

अतः उक्त फ्लैट के नामांतरण के संबंध में किसी व्यक्ति शासकीय व अर्धशासकीय संस्था, निकाय, बैंक, अथवा वित्तीय संस्था, को कोई आपत्ति हो तो इस आम सूचना प्रकाशन के 15 दिवस के अन्दर लिखित आपत्ति मय दस्तावेज अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में प्रस्तुत करें। अन्यथा बाद में प्राप्त होने वाली आपत्ति पर विचार नहीं किया जावेगा।

संपदा अधिकारी
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मण्डल,
संपदा प्रबंधन प्रक्षेत्र-2, रायपुर

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार भिलाई के न्यायालय में मामला क्रमांक 202303101000073
विषय-अ-6 मामले की श्रेणी-राजस्व सन 2022-23
कुरूद प.ह.न. 00046 (1575/59(0.0060 हे.)
पक्षकारों का विवरण-
आवेदक पक्षकार - फरीदा खातून,
अनावेदक पक्षकार - मोहम्मद जाकिर अंसारी

ईश्तहार

आवेदक फरीदा खातून पिता पति विभाग मोहम्मद फिरदौशा अंसारी पता- सेक्टर 11 भिलाई द्वारा ग्राम कुरूद प.ह.न. 19अ.रा.नि.म. कोहका, तहसील व जिला दुर्ग स्थित भूमि स्वामी हक की भूमि खान. 1575/59 रकबा 0.006 हे /660 वर्गफीट भूमि को रजिस्टर्ड बैनामा के आधार पर बैनामा दिनांक 11/11/2022 को विक्रेता मोहम्मद जाकिर अंसारी अम्बर पिता पति विभाग मोहम्मद फजल करीम अंसारी पता सेक्टर-11 खुर्सीपार भिलाई से क्रय किया है कि नामांतरण किये जाने बाबत आवेदन पत्र मय बैनामा की छाया प्रति प्रस्तुत किया गया है।

अतएव इस संबंध में किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का उजर या दावा हो तो वह नियत पेशी दिनांक 13.04.2023 तक स्वयं अथवा अपने विधिमान्य अभिकर्ता के माध्यम से इस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित में आपत्ति आवेदन पेश कर सकते है समयवधि पश्चात आपत्ति प्रस्तुत होने पर कोई विचार नही किया जावेगा

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — अतिरिक्त तहसीलदार दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार पलारी जिला बलौदाबाजार-भाटापारा (छ.ग.)

ईश्तहार

रा.प्र.क्र. अ/74 वर्ष 2022- 23
पक्ष. रामकिशुन पिता झुम्मनलाल
मौजा ग्राम जंगलोर प.ह.नं 42
रा.नि.म. व तहसील पलारी,

एतद द्वारा सर्वसाधारण आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक रामकिशुन पिता झुम्मनलाल जाति सतनामी निवासी जंगलोर तहसील बलौदाबाजार जिला बलौदाबाजार भाटापारा छ.ग. के द्वारा आवेदन प्रस्तुत किया गया है कि आवेदक के स्वयं की जन्म दिनांक 02/01/1989 को ग्राम जंगलोर में हो चुका है। जिसका जन्म पंजीयन नहीं करा पाया है। इसलिए आवेदक द्वारा अपने दादी के जन्म दिनांक का पंजीयन किये जाने हेतु आवेदन मय शपथ पत्र, अनुपलब्धता प्रमाण पत्र सहित प्रस्तुत किया गया है। जो इस न्यायालय में विचाराधीन है।

अतः उक्त भूमि के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति को दावा आपत्ति प्रस्तुत करना हो तो वह स्वयं अथवा अपने अभिभाषक के माध्यम से दिनांक 10.04.2023 तक दावा आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। मियात बाद दावा आपत्ति पर किसी प्रकार की सुनवाई नही होगी।

आज दिनांक 20/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की सील मोहर द्वारा ईश्तहार जारी किया गया।

सील — तहसीलदार पलारी

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम- रंजना कोसरे

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक रंजन कोसरे आ. श्री खेलू राम कोसरे निवासी-95 वार्ड नंबर 19 कैम्प 01 नन्दा नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कुरूद प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	1326/19	0.012 हे. 1250 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम- श्री हरीश कुमार वर्मा

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती सुषमा सोना ,पति श्री बल्लू सोना निवासी 8/31,नेहरू नगर ईस्ट भिलाई दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	44/21	0.011 हे. 1250 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम-श्रीमती सुषमा सोना

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री हरीश कुमार वर्मा आ. श्री राजकुमार वर्मा, निवासी म.नंबर 88 कांटेक्टर कालोनी सुपेला भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	44/41	0.011 हे. 1200 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम-श्रीमती शशि देवांगन

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री मुकेश कुमार देवांगन निवासी -651/1 वार्ड नंबर महामाया वार्ड बेरला जिला बेमेतरा द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	44/23	0.010 हे. 1250 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम-श्री सेवाराम साहू

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती शशि देवांगन [illegible] निवासी-13 न्यू कृष्णा नगर सुपेला भिलाई जिला दुर्ग द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	29/27	0.010 हे. 1150 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम- श्री इमरान खान

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदिका श्रीमती रानी देवी साहू [illegible] द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	44/40	0.007 हे. 800 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग (छ.ग.)

उद्घोषणा

आनलाईन रजिस्ट्रेशन नं. 202303100400
पक्षकार का नाम-श्रीमती रानी देवी साहू

एतद् द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता हैं कि आवेदक श्री इमरान खान [illegible] द्वारा नीचे अनुसूची में दर्शित भूमि को उसके सम्मुख दर्शित प्रयोजन के लिए व्यपवर्तन एवं पुनर्निर्धारण हेतु आवेदन पत्र छ.ग.भू.रा.सं. 1959 की धारा 172/ 59 (2)(5) तहत् प्रस्तुत किया गया है। जिसके संबंध में इस न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है।

अनुसूची

ग्राम/प.ह.नं./जहां भूमि स्थित है	खसरा नंबर	रकबा	प्रयोजन
कोहका प.ह.नं. 19 तह. व जिला दुर्ग	44/42	0.010 हे. 1150 वर्गफुट	आवासीय

अतएव इस संबंध में आवेदित भूमि के संबंध में जिस किसी व्यक्ति अथवा संस्था को किसी प्रकार का दावा-आपत्ति हो तो प्रकरण में उद्घोषणा के प्रकाशन 07 दिवस तक स्वयं अथवा अधिकृत अभिकथक के माध्यम से न्यायालय में उपस्थित होकर आपत्ति प्रस्तुत कर सकतें हैं। नियत तिथि के बाद प्राप्त दावा / आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा ।

यह उद्घोषणा आज दिनांक 15/03/2023 को मेरे हस्ताक्षर तथा न्यायालय की मुद्रा के साथ जारी किया गया ।

मुहर — अनुविभागीय अधिकारी (रा.) दुर्ग, जिला-दुर्ग

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग
मामले की श्रेणी - राजस्व
संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील दुर्ग प.ह.न.00039 बोरसी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्र.क्र. सीजी 5106417032026

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार दुर्ग
मामलेकी श्रेणी- राजस्व
संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. - 00039 बोरसी ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्र.क्र. सीजी5106417032027

ईश्तहार

[illegible]

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 20/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार दुर्ग (छ.ग.)

न्यायालय तहसीलदार पाटन के न्यायालय मे मामला क्रमांक 202303100900143
विषय ब-121 मामले की श्रेणी-राजस्व सन-2022-23
खोरपा प.ह.न. 00035 [(हे.)]
पक्षकारों का विवरण -
आवेदक पक्षकार - योगेन्द्र कोसे,
अनावेदक पक्षकार -

ईश्तहार

एतद द्वारा सर्वसाधारण एवं ग्राम खोरपा प.ह.नं. 38 तहसील पाटन, जिला दुर्ग के आम जनता को सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है कि आवेदक योगेन्द्र पिता स्व. देवीप्रसाद निवासी ग्राम खोरपा तहसील पाटन जिला दुर्ग द्वारा ग्राम खोरपा ह.नं. 38 स्थित देवी प्रसाद पिता बिसौहा के नाम पर दर्ज आबादी पट्टा भूमि ख.नं. 53/26 क्षेत्रफल रकबा 493 वर्गमीटर का पट्टेदार का दिनांक 07.09.2019 को फौत होने से उनके नाम को विलोपित कर उनके वैध वारिसानो नाम दर्ज किये जाने हेतु प्रस्तुत आवेदन आधार पर प्रकरण न्यायालय मे विचारधीन है।

अतः आवेदक योगेन्द्र पिता स्व. देवीप्रसाद द्वारा प्रस्तुत आवेदन आधार पर उपरोकतानुसार नामांतरण की कार्यवाही में जिस किसी व्यक्ति/संस्था को आपत्ति हो तो अपनी लिखित आपत्ति प्रकरण में सुनवाई तिथि 31-03-2023 तक इस न्यायालय में प्रस्तुत कर सकते है। नियत तिथि के पश्चात प्राप्त दावा/ आपत्ति पर किसी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा ।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — तहसीलदार पाटन

न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग 3
मामलेकी श्रेणी- राजस्व
संदर्भ- जिला दुर्ग तहसील-दुर्ग प.ह.न. 00017 सिकोला ग्राम के नामांतरण पंजी में पंजीबद्ध प्र.क्र. आरडी202223430107400040

ईश्तहार

तहसील दुर्ग के प.ह.न. 00017 के अंतर्गत ग्राम सिकोला के वर्तमान भूमिस्वामी मंजू राजपूत पिता/पति दिलीपसिंह राजपूत पता- वार्ड नं. 40 दुर्ग के द्वारा धारित भूमि खसरा नंबर 291/55 (0.0080) में प्रस्तावित भूमि मालिक / खरीदार दिलीप सिंह राजपूत पिता स्व ललित सिंह राजपूत पता-, निकिता राजपूत पिता दिलीप सिंह राजपूत पता-, कुमारमुक्ता राजपूत पिता दिलीप सिंह राजपूत पता- के नाम पर पंजीयन/फ़ौती होने के उपरांत नामांतरण/अभिलेख दुरुस्ती/खाता विभाजन के लिए प्रकरण अधोहस्ताक्षरकर्ता के न्यायालय में पंजी विचाराधीन है। इस प्रकरण की सुनवाई दिनांक 10/04/2023 को समय सुबह 11 बजे स्थान न्यायालय न्यायालय नायब तहसीलदार दुर्ग 3 पर की जावेगी ।

उपरोक्त के संबंध में जिस किसी भी व्यक्ति/संस्था को कोई दावा आपत्ति हो तो इश्तहार प्रकाशन उपरांत प्रकरण की आगामी सुनवाई के पूर्व या सुनवाई के समय अपना दावा आपत्ति स्वयं/ अधिवक्ता/आममुख्त्यार के माध्यम से पेश कर सकते है। प्रकरण के सुनवाई के लिए निर्धारित तिथि के उपरांत प्राप्त दावा आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा।

यह ईश्तहार मेरे हस्ताक्षर एवं पदमुद्रा से आज दिनांक 17/03/2023 को जारी किया जाता है।

सील — नायब तहसीलदार दुर्ग 3

न्यायालय- एकादश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, रायपुर (छ.ग.)

प्रकरण क्र.- 41B/16 पेशी तारीख 26.04.2023 प्रोसेस क्र0 247/23

केनरा बैंक — आवेदक/अपीलार्थी/वादी
बनाम
अनिल सिंह — अनावेदक/उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण

प्रति,

अनिल सिंह आत्मज छोटेलाल सिंह C/o श्री रघुवीर पाण्डे, शर्मा आरा मिल के पास, पचपेढ़ीनाका, रायपुर छ.ग.

अनावेदकगण केनरा बैंक ने आपके विरुद्ध आवेदन पत्र अंतर्गत कुल रुपये 7,31,142.55 (अक्षरी- सात लाख एकतीस हजार एक सौ बयालीस रु. पचपन पैसे) की क्षतिपूर्ति हेतु संस्थित किया है। आपको इस न्यायालय में पेशी तारीख 26.04.2023 को 11.00 बजे दावे का उत्तर देने के लिए उपसंजात या उपस्थित होने के लिये समंस जारी किया जाता है।

अतः आपको इस समंस प्रकाशन के माध्यम से सूचित किया जाता है कि जिस किसी पक्षकार को कोई आपत्ति है, तो इस न्यायालय में स्वयं या ऐसे अधिवक्ता द्वारा नियत पेशी दिनांक 26.04.2023 को उपस्थित हो और इस वाद से संबंधित सारवान प्रश्नों का उत्तर दे सके या जिसके साथ ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसे सब प्रश्नों का उत्तर दे सके। अधिकरण में आपकी उपसंजाति के लिये जो दिन नियत किया जाता है वह इस वाद के अंतिम निपटारे के लिये नियत दिन है इसलिये आपको इस दिन अपने उन सब साक्षियों को या उन सब दस्तावेजों को पेश करने के लिये तैयार रहना चाहिए जिनके लिये आप अपनी प्रतिरक्षा के लिये निर्भर रहना चाहते हैं।

आपको सूचित किया जाता है कि यदि आप उपर वर्णित की गई तारीख को इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होंगे तो वाद की सुनवाई और निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जावेगा।

नोट- यदि किसी कारणवश पेशी तिथि को अवकाश हो जाता है या कार्य स्थगित हो जाता है या पीठासीन अधिकारी अवकाश पर हो तो प्रकरण की सुनवाई अगले कार्य दिवस पर की जायेगी।

यह आज तारीख 02.03.2023 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई है।

(यशवंत वासनीकरण)
न्यायालय- एकादश अतिरिक्त जिला न्यायाधीश,
रायपुर (छ.ग.)

दिनांकः 02.03.2023

CHHATTISGARH STATE POWER DISTRIBUTION CO. LTD.
(A GOVERNMENT OF CHHATTISGARH UNDERTAKING) (A SUCCESSOR COMPANY OF CSEB)
O/O THE SUPERINTENDING ENGINEER, CC-I, OLD MANTRALAY BEHIND - BSNL OFFICE, RAIPUR
Website - www.cseb.gov.in Office Mail ID - [illegible] Phone No. 0771-2574001, 2574001 Fax No. 0771-2574005

NOTICE INVITING TENDER THROUGH E-BIDDING

E-tenders are invited against **NIT No. 10-10/Pur./TR-2023_111 date 22.03.2023** for hiring vehicle for following work. **Rfx no -8100030054**

Sl. No.	Particulars	Contract Value
1	Hiring of Vehicle **(Three Years)** new SUV (Earlier Jeep) category and Equivalent for EE Vigilence CSPDCL Raipur with one driver or maximum 3 year old and having total run not exceeding 60000 Km. The vehicle required on hire should be well maintained, well constructed with good quality of seat cover, foot mating & interiors etc. Hired vehicle should be registered & shall have comprehensive Insurance. The maintenance cost, commercial Tax and insurance, wages of driver, cost of fuel -Lubricants, repair and maintenance and other liabilities shall be on the contractor side but excluding GST. (A) Rate for Monthly run 1st 2000 Km. (B) Rate for extra run beyond 2000 Km. (Rs. Per Km.) (C) Rate to be deducted for running less than 2000 Km. (Rs. To be deducted).	20.00 Lakh Apro. Excluding GST

Details of Tender, Technical Specifications, Terms and Conditions etc are available on our website www.cseb.gov.in, www.cspdcl.co.in and **ebidding http:/cijsrp.cspdcl.co.in.** Last date and time of submission of bid is on **12.04.2023** up to **01:30 P.M.** and due date of opening is on at **02:00 P.M.** The Tender document can also be downloaded from CSPDCL's official website mentioned above. The cost of required Tender fee of **Rs. 2000/- (Incl.GST)** may be deposited in this office though MICR Demand Draft drawn in favour of "The Sr.A.O.-I, C.S.P.D.C.L., Raipur" should be received in this office on or before **12.04.2023.** up to **01:30 P.M.** which is not refundable. An amount of **(Rs. 20,000/-)** 1% of the Tender value towards EMD has to be deposited by the Contractor in this office through MICR Demand Draft drawn in favour of "The Sr. A.O.-I, C.S.P.D.C.L., Raipur". The Envelopes containing cost of the Tender Money and EMD must be super scribed clearly with 'Tender work name', 'Tender No. & Date', Cost of Tender Money/EMD amount with details of DD, due date of opening and name of firm with Address, Tel/Mob No. and shall be addressed to **S.E. City Circle-I,** CSPDCL, Old Mantralaya, Raipur. NON-MICR DEMAND DRAFTS WILL NOT BE ACCEPTABLE IN BOTH THE ABOVE CASE. The Notice for extension of Due Date of tender submission/opening/ corrigendum/ amendment, if any, to the tender document will be displayed on CSPDCL's official websites as mentioned above.

S.-36045/3 — Superintending Engineer, City Circle-I, CSPDCL: Raipur

SAVE ELECTRICITY

छत्तीसगढ़ शासन

लघु धान्य फसलों से बरसेगा आदिवासी घरों में धन

कोदो, कुटकी, रागी का समर्थन मूल्य तय करने वाला देश का पहला राज्य

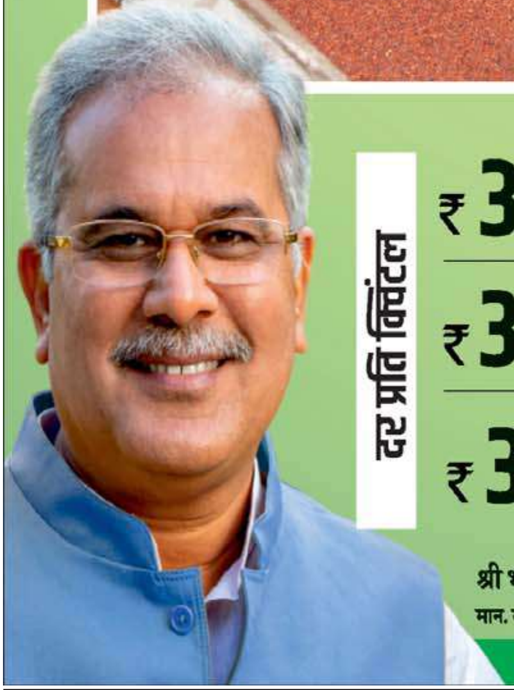

दर प्रति क्विंटल

₹ 3000 कोदो

₹ 3100 कुटकी

₹ 3578 रागी

श्री भूपेश बघेल
मान. मुख्यमंत्री, छत्तीसगढ़

- छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का गठन
- इंडियन इंस्टीट्यूट आफ मिलेट्स रिसर्च के साथ करार
- प्राथमिक वनोपज सहकारी समितियों और स्व सहायता समूहों के माध्यम से संग्रहण
- प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना
- मिलेट्स के व्यंजनों को बढ़ावा देने खोले कैफे

संवाद - 34699